

अध्याय II : भारतीय नौसेना में नौसैनिक भण्डार तथा उपकरण एवं अतिरिक्त पुर्जों के इनवेंट्री प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सार

2.1 पृष्ठभूमि

भारतीय नौसेना के पास अलग-अलग सामग्री संगठनों में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की इनवेंट्री है। विगत दशक के दौरान भारतीय नौसेना के बेड़े में बहुत से नए प्लेटफार्म शामिल किए गए हैं। बेड़े के बढ़ने के साथ-साथ भण्डारों की मांग को पूरा करने का उत्तरदायित्व कई गुणा बढ़ गया है तथा तदनुसार इनवेंट्री का आकार भी बढ़ा है। इस प्रकार सही स्थान, समय तथा लागत पर भण्डार उपलब्ध कराने के लिए भारतीय नौसेना को अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ी तथा उसे सामग्री संगठनों में संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। विगत छः वर्षों के दौरान भारतीय नौसेना ने अपने भण्डारों की पुनः पूर्ति के लिए ₹6,700 करोड़ से अधिक खर्च किया। वर्तमान में भारतीय नौसेना द्वारा इनवेंट्री का प्रबंधन पूर्णतः स्वचालित एकीकृत सम्भारिकी प्रबंधन तंत्र (आई.एल.एम.एस) का प्रयोग करके किया जाता है।

भारतीय नौसेना में इनवेंट्री प्रबंधन पर एक समीक्षा 2002 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 8ए में शामिल की गई थी। प्रतिवेदन में मुख्यतः पुनः पूर्ति प्रावधानीकरण, अधिप्राप्ति, मांगपूर्ति, इनवेंट्री की धारिता एवं निपटान तथा इनवेंट्री स्वचालन पर टिप्पणी की गई थी तथा सुधार के लिए समुचित सिफारिशों की गई थी। मंत्रालय ने प्रतिवेदन पर ए.टी.एन (अप्रैल 2006) में अधिप्राप्ति पद्धति को और प्रभावी बनाने, मांग की पूर्ति के स्तर को बढ़ाने, अतिरिक्त तथा अचल इनवेंट्री के त्वरित निपटान तथा आई.एल.एम.एस में त्रुटियों का समाधान करने तथा सभी भागीदारों को आई.एल.एम.एस की संयोजिता के लिए पुनः पूर्ति प्रावधानीकरण के पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया था। यह निष्पादन लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की सीमा का आकलन करने तथा 2010-11 से 2015-16 की अवधि के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा प्रावधानीकरण, अधिप्राप्ति, मांग पूर्ति, इनवेंट्री धारिता तथा सामग्री प्रबंधन के स्वचालन में किफायत, दक्षता तथा प्रभाविकता का आकलन करने की दृष्टि से की गई थी।

लेखापरीक्षा पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2011 से 2016 की अवधि के लिए नौसैनिक भण्डारों तथा उपकरण एवं अतिरिक्त पुर्जों (ई एण्ड एस.पी) के संबंध में इनवेंट्री के प्रबंधन पर चार सामग्री संगठनों (एम. ओज़) की समीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा जांच में एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय

(नौसेना) के विभिन्न निदेशालयों तथा मुम्बई, विशाखापत्तनम, कोच्चि तथा कारवार के सामग्री संगठनों के दस्तावेजों/अभिलेखों की संवीक्षा शामिल थी। लेखापरीक्षा ने सामग्री प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित आई.एल.एम.एस से प्राप्त आंकड़ों की भी जांच की।

मुख्य निष्कर्ष

(i) प्रावधानीकरण प्रक्रिया तथा चुनिंदा इनवेंट्री नियंत्रण तकनीकों की प्रभाविकता

भारतीय नौसेना द्वारा अपने इनवेंट्री प्रबंधन में अपनाई गई स्वचालित प्रणाली आधारित पुनः पूर्ति प्रावधानीकरण प्रक्रिया ने प्रावधानीकरण फॉर्मूले में अन्तर्निष्ठ त्रुटि के कारण अधिप्राप्ति मात्राओं के संक्षिप्त अनुमान का वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप सभी मामलों में प्रावधानीकरण अधिकारियों की अनुभवी समीक्षा (पी.ओ.ई.आर) द्वारा हस्तक्षेप अपरिहार्य हुआ जिसके कारण स्वचालन का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। मांगपत्रों की प्रसंस्करण के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप अधिप्राप्ति में विलम्ब हुआ। प्रभावी चुनिंदा इनवेंट्री नियंत्रण तन्त्र का अभाव था क्योंकि भारतीय नौसेना इनवेंट्री प्रबंधन के ए.बी.सी श्रेणीकरण के निर्धारित प्रतिमानों का पालन करने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप समीक्षा प्रावधानीकरण, तथा इनवेंट्री के अधिकतम तथा न्यूनतम भंडार स्तर का निर्धारण प्रभावित हुए। अधिप्राप्ति की सिफारिश करते समय व्यावसायिक अधिकारियों द्वारा पी.ओ.ई.आर के प्रयोग में औचित्य का अभाव था क्योंकि पी.ओ.ई.आर के हस्तक्षेप के पश्चात् अधिप्राप्त ₹499 करोड़ मूल्य की 21,497 मर्दे भंडार में ऊपरी भंडार स्तर से अधिक निर्धारित की गई थी।

(पैराग्राफ 2.3.1, 2.3.2.2 तथा 2.3.3)

(ii) अधिप्राप्ति की दक्षता तथा प्रभाविकता

मालिकाना मद प्रमाण-पत्र तथा एकल निविदा पूछताछ के अन्तर्गत अधिप्राप्त मदों की प्रतिशतता, निविदा पूछताछ तथा दर संविदा के अन्तर्गत अधिप्राप्त मदों की तुलना में अधिक थी जिसके कारण कम प्रतिस्पर्धा/एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हुई। ₹46.92 करोड़ मूल्य की मर्दे उनके अप्रचलित घोषित होने के बाद अधिप्राप्त की गई थी जो अधिप्राप्ति का निर्णय करते समय सामग्री योजनाकारों द्वारा समुचित परिश्रम के अभाव को दर्शाता है। प्रावधानीकरण एजेंसियों द्वारा मांगपत्रों के अनुमोदन में असाधारण विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप क्रय आदेश देने पर प्रपाती प्रभाव पड़ा। नए विक्रेताओं के पंजीकरण में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई जिसका परिणाम सीमित विक्रेता डॉटाबेस के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ 2.4.2.1, 2.4.2.2 तथा 2.4.5)

(iii) मांग अनुपालन

सामग्री आयोजकों द्वारा प्रयोक्ता यूनिटों से प्राप्त कुल मांग के केवल 7.65 से 10.13 प्रतिशत की ही निर्धारित समय सीमा के अन्दर जांच की गई थी जिससे सामग्री संगठनों (एम.ओज़) द्वारा जांच की धीमी प्रगति का पता चलता है जिसके कारण अन्ततः अनुमोदन तथा प्रयोक्ताओं को निर्गम में विलम्ब हुआ। एम.ओज़ द्वारा औसत मांग अनुपालन, नौसैनिक इनवेंट्री के स्वचालित होने के बावजूद, मांग के अनुपालन में बहुत कम सुधार को दर्शाता है। एन.डी, मुम्बई में रीफिट किए जा रहे 20 पोतों के संबंध में रीफिट्स योजना कार्यक्रम (आर.पी.पी) मांगों की औसत अनुपालन दर 60 प्रतिशत से कम थी जिसके कारण रीफिट्स के समय पर समापन में विलम्ब हुआ तथा अन्ततः पोतों की परिचालन उपलब्धता प्रभावित हुई।

(पैराग्राफ 2.5.1 तथा 2.5.3)

(IV) इनवेंट्री धारिता में अपर्याप्तताएं

सामग्री संगठनों (एम.ओज़) में रखी गई अचल इनवेंट्री 54 तथा 98.29 प्रतिशत के बीच थी। इसके अतिरिक्त, कुल इनवेंट्री का 30 प्रतिशत पुरानी/अप्रचलित स्थिति में था। यह एम.ओज़ द्वारा अधिक अधिप्राप्ति का सूचक है जिससे भण्डारण स्थान निरूद्ध हुआ तथा अस्वास्थ्यकर इनवेंट्री प्रबंधन हुआ। इसके अतिरिक्त, एम.ओज़ द्वारा ₹7,359.37 करोड़ की इनवेंट्री ऊपरी भंडार स्तर से अधिक रखी गई थी जिसके परिणामस्वरूप रखे गए भंडार के विकृत तथा अप्रचलित होने के अतिरिक्त ₹588.75 करोड़ प्रति वर्ष की इनवेंट्री वहन लागत की परिहार्य देयता हुई। एम.ओज़ में इनवेंट्री में बड़ी संख्या में मर्दे न्यूनतम भंडार स्तर से कम रखी गई थी जिसके कारण, भण्डार समाप्ति की स्थिति में वृद्धि हुई। एक ही उद्देश्य की पूर्ति करने वाले कई बनावटों के उपकरण तथा एक ही कार्य को करने वाली भिन्न-भिन्न मर्दे नौसैनिक इनवेंट्री में विद्यमान थी जिसका अर्थ है कि भारतीय नौसेना द्वारा एक जैसे उपकरणों के मानकीकरण हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप एक ही प्रकार के उपकरणों की बहुविध इनवेंट्रियां रखी गईं जिसके कारण प्रावधानीकरण तथा भण्डारण से संबंधित दिक्कतें उत्पन्न हुईं।

(पैराग्राफ 2.6.1, 2.6.2.1, 2.6.3 तथा 2.6.7)

(V) आई.एल.एम.एस की प्रभाविकता

डॉटा प्रविष्टि स्तर पर आंकड़ों की शुद्धता तथा वैधता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण तन्त्र का अभाव था। प्रणाली में बहुविध विक्रेता कोडों का होना नौसैनिक इनवेंट्री के युक्तियुक्तकरण में बाधा है, आई.एल.एम.एस में उपलब्ध संसाधनों का ईष्टतम उपयोग नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप भण्डारों की परिहार्य अधिप्राप्ति हुई। एम.ओज़, नौसैनिक गोदीबाड़ों, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में तकनीकी निदेशालयों, भारतीय नौसैनिक पोत अनुरक्षण प्राधिकरण, युद्धपोत निगरानी दल तथा प्रयोक्ता यूनिटों जैसे सभी भागीदारों के साथ

आई.एल.एम.एस का एकीकरण अभी तक नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप सूचना के सतत प्रवाह तथा समस्त स्तरों पर कुल परिसम्पत्ति दृश्यता का अभाव हुआ।

(पैराग्राफ 2.7.2, 2.7.4 तथा 2.7.5)

सिफारिशें

- ✓ नौसेना द्वारा अपनाए गए प्रावधानीकरण फॉर्मूले में अधिप्राप्ति मात्रा का सही अनुमान लगाने तथा कम मानवीय हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए सुधार करने की आवश्यकता है।
- ✓ एम.ओज़ द्वारा ए.आर.पी से बाहर की गई अधिप्राप्ति की उच्च प्रतिशतता को हतोत्साहित किया जाना चाहिए तथा समस्त अधिप्राप्ति को ए.आर.पी के अन्तर्गत लाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- ✓ इनवेंट्री की सामग्री योजना नियम-पुस्तिका में परिकल्पित चुनिंदा इनवेंट्री नियंत्रण की पूर्ति के प्रति उसके उपयोग तथा महत्व के अनुसार इनवेंट्री के प्रभावी वर्गीकरण को अपना कर इनवेंट्री की प्रावधानीकरण तथा प्रबंधन से संबंधित क्रियाकलाप सरल तथा कारगर बनाए जाने चाहिए।
- ✓ भण्डार की ए, बी तथा सी श्रेणी की वार्षिक उपभोग सीमा तथा मौजूदा मूल्य में संशोधन किया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान सीमा एम पी एम -1995 में निर्धारित की गई थी।
- ✓ कम आन्तरिक लीड समय तथा अच्छी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए अधिप्राप्ति क्रियाकलाप सरल और कारगर बनाए जाने चाहिए।
- ✓ अधिप्राप्ति कार्रवाई शुरू करते समय ऐसा तन्त्र विद्यमान होना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अप्रचलित मद अधिप्राप्ति नहीं की गई है।
- ✓ विक्रेता आधार बढ़ाने के लिए विक्रेता प्रबंधन को मज़बूत किया जाना चाहिए तथा इस विषय में कार्रवाई की जानी चाहिए कि संबंधित एम.ओज़ द्वारा स्थानीय विक्रेताओं के पंजीकरण द्वारा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए सभी एम.ओज़ द्वारा विक्रेता पंजीकरण किया जाना सुनिश्चित हो सके। यूनिक विक्रेता कोड आबंटित करके उन्हीं विक्रेताओं को बहुविध पंजीकरणों से बचा जाना चाहिए।
- ✓ मांग अनुपालन की विभिन्न अवस्थाओं की समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
- ✓ भण्डारों की अधिक प्राप्ति के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई इनवेंट्री से बचने के लिए पुनः प्राप्ति प्रावधानीकरण को समुचित रूप से सरल और कारगर बनाया जाना चाहिए।

- ✓ अत्यावश्यक तथा अनिवार्य मदों का न्यूनतम भंडार स्तर अनुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि उनकी भण्डार समाप्ति की स्थिति से बचा जा सके।
- ✓ बेहतर निर्णय लेने के लिए सही आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आई.एल.एम.एस में सभी स्तरों पर समुचित नियंत्रण/वैधीकरण शामिल किए जाने चाहिए।

परिचय

2.2 समूचे विश्व में सफल सैन्य सम्भारिकी, का एक पक्ष एक जैसा है 'सुस्पष्ट इनवेंट्री एवं उसका प्रभावी प्रबंधन'। चाहे वह निर्धारित रूटीन हो अथवा खराबी अनुरक्षण हो, इनवेंट्री प्रबंधन प्रणाली इतनी लचीली होनी चाहिए कि प्लेटफार्म डाऊनटाईम को न्यूनतम करने के लिए समुचित समय में अपेक्षित अतिरिक्त पुर्जों को एकत्र किया जा सके। इसके लिए एक संक्षिप्त इनवेंट्री तथा एक प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता प्रणाली है जो अच्छी तरह से डिजाइन की गई पूर्वानुमान समीक्षा तथा प्रावधानीकरण प्रणाली से समर्थित हो।

इनवेंट्री के प्रकार

भारतीय नौसेना (आई.एन) विभिन्न प्रकार की इनवेंट्री का संचालन करती है जैसे नौसैनिक भण्डार¹ उपकरण तथा अतिरिक्त पुर्जे (ई एण्ड एस.पी),² ईंधन एवं स्नेहक, कपड़े तथा संभरण भण्डार, चिकित्सा भण्डार, युद्ध सामग्री भण्डार, शस्त्र उपकरण तथा अतिरिक्त पुर्जे। शस्त्र एवं युद्ध सामग्री भण्डार शस्त्र उपकरण डिपो (डब्ल्यू.ई.डीज़) तथा नौसैनिक युद्ध सामग्री डिपो (एन.ए.डीज़) में रखे जाते हैं। सामग्री संगठनों (एम.ओज़) द्वारा भंडार किए गए तथा आपूर्ति किए गए नौसैनिक भण्डार तथा ई एण्ड एस.पी, लेखापरीक्षा जांच के केन्द्र बिन्दु थे।

इनवेंट्री प्रबंधन दर्शनशास्त्र

भारतीय नौसेना का इनवेंट्री प्रबंधन तथा सम्भारिकी योजना पोतों तथा स्थापनाओं द्वारा की गई मांग, नौसैनिक गोदीबाड़ों से पूर्वानुमान तथा एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) निदेशालयों द्वारा की गई मांग के आधार पर नौसैनिक इनवेंट्री की समीक्षा के साथ शुरू होती है। यह नौसैनिक भण्डार तथा उपकरण तथा अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति हेतु मांग पत्र बनाने

¹ नौसैनिक भण्डार- नौसैनिक भण्डार में पैरा 2.2 में विशेष रूप से सूचीबद्ध सामग्री को छोड़कर भारतीय नौसेना में प्रयोग होने वाली समस्त सामग्री शामिल है। नौसैनिक भण्डारों के कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं: बाड़ा सामग्री, ढांचा तथा पोत फिटिंग, चलायमान फिटिंग, कार्यालय उपकरण एवं स्टेशनरी, नाव तथा नाव भण्डार, गोता भण्डार, जल विज्ञान तथा समुद्र विज्ञान संबंधी भण्डार, मौसम विज्ञान तथा समुद्र पर्यावरण संबंधी भण्डार।

² उपकरण एवं अतिरिक्त पुर्जे (ई एण्ड एस.पी) - इनमें स्वदेशी रूप से तथा विदेश में बने पोतों पर फिट किए गए तथा भंडार में रखे गए भण्डार सहित भारत में निर्मित अथवा असेम्बल किए गए सभी उपकरण तथा अतिरिक्त पुर्जे शामिल हैं। अतिरिक्त पुर्जे नौसैनिक भण्डार में भंडार किए गए संघटकों को छोड़कर, उपकरण के सज्जीकरण, उप-सज्जीकरण तथा संघटक के संकेतक हैं।

तथा योजना का आधार है। पोतों का डाउनटाईम, भारतीय नौसेना में बल स्तरों को काफी प्रभावित करता है। अतः सामग्री सहायता का उत्तरदायित्व एक अनवरत इनवेंट्री प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से बल स्तर सुनिश्चित करना है जो शान्ति परिचालनों के दौरान डाउनटाईम को न्यूनतम करेगा तथा उसके परिणामस्वरूप अनुरक्षण चक्र दक्ष होंगे। चूंकि 'भण्डार समाप्ति की स्थिति' क्षमता को बहुत कम करती है, अतः मांग सन्तुष्टि स्तर एक महत्वपूर्ण मानदण्ड है। इसके साथ ही, पोत/पनडुब्बियां स्वयं ही एक प्रमुख प्लेटफार्म बनाती हैं तथा किसी भी भण्डार की अनुपलब्धता से कई महीनों का डाउनटाईम हो सकता है जिनका गम्भीर परिणाम हो सकता है।

सामग्री संगठन

समस्त नौसैनिक भण्डार तथा ई एण्ड एस.पी, प्रत्येक नौसैनिक कमान पर पहले नौसैनिक भण्डार डिपो (एन.एस.डी) के नाम से जाने जाने वाले एम.ओ.ज़ द्वारा भंडार तथा आपूर्ति किए जाते हैं। अर्थात् पश्चिमी नौसैनिक कमान मुम्बई {एम.ओ (एम बी)},³ पूर्वी नौसैनिक कमान विशाखापत्तनम {एम.ओ (वी)}, दक्षिणी नौसैनिक कमान कोच्चि {एम.ओ (के)} के इसके अतिरिक्त, भारतीय नौसेना के पोतों/पनडुब्बियों तथा तट स्थापनाओं की मांग को पूरा करने के लिए कारवार {एम.ओ (के डब्ल्यू)} तथा पोर्ट ब्लेयर {एम.ओ (पी.बी)}⁴ में स्थित सामग्री संगठन हैं।

संगठनात्मक ढांचा तथा भण्डार प्रावधानीकरण

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), में भारतीय नौसेना की सामग्री शाखा का प्रमुख मुख्य सामग्री नियंत्रक (सी.ओ.एम) होता है, सी.ओ.एम के अधीन वाईस एडमिरल के रैंक में कार्यरत सम्भारिकी नियंत्रक (सी.ओ.एल), वायु सेना भण्डार तथा शस्त्र उपकरण को छोड़कर जिनका प्रबंधन ए.सी.एन.एस (विमान सामग्री) के अधीन विमान सम्भारिकी सहायता निदेशालय (डी.ए.एल.एस) तथा शस्त्र उपकरण निदेशालय (डी.डब्ल्यू.ई) द्वारा किया जाता है, भारतीय नौसेना में सम्भारिकी प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

सी.ओ.एल की सहायता रीयर एडमिरल के रैंक में सहायक सम्भारिकी नियंत्रक (ए.सी.ओ.एल) द्वारा की जाती है जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है:

³ एम.ओ (एम बी) - सामग्री संगठन, मुम्बई


एम.ओ (के) - सामग्री संगठन, कोच्चि

एम.ओ (वी) - सामग्री संगठन, विशाखापत्तनम

एम.ओ (केडब्ल्यू) - सामग्री संगठन, कारवार

⁴ एम.ओ (पी.बी) - पोर्ट ब्लेयर में एक अनुषंगी सामग्री संगठन नौसैनिक भण्डार भंडार करता है।

चित्र 2.1: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में संगठनात्मक ढांचा



सभी कमान मुख्यालयों में एम.ओज़ का मुखिया सामग्री अधीक्षक (एम.एस) होता है तथा उसकी सहायता चार नियंत्रकों द्वारा की जाती है जैसे, (i) सामग्री योजना नियंत्रक (सी.एम.पी) जो स्वतः पुनः पूर्ति तथा प्रयोक्ताओं से मांग के आधार पर समग्र सामग्री योजना के लिए उत्तरदायी होता है, (ii) अधिप्राप्ति नियंत्रक (सी.पी.आर.ओ), अधिप्राप्ति क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी, (iii) मालगोदाम नियंत्रक (सी.डब्ल्यू.एच) अधिप्राप्त सभी इनवेंट्रीज़ का स्टॉकिस्ट होता है तथा प्राप्ति तथा प्रयोक्ताओं की निर्गम के लिए भी उत्तरदायी होता है, (iv) तकनीकी सेवा नियंत्रक (सी.टी.एस) तकनीकी पहलुओं को देखता है जैसे मर्दों का विनिर्देशन तथा इनवेंट्री की मरम्मत, इसके अतिरिक्त कुछ एम.ओज़ में एक प्रणाली प्रशासक (एस.ए), होता है जो कम्प्यूटरीकृत इनवेंट्री से संबंधित सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी होता है जैसे एकीकृत सम्भारिकी प्रबंधन प्रणालियां (आई.एल.एम.एस)।

भण्डार प्रावधानीकरण, मांग पर आधारित आवश्यकता के परिकलन तथा अधिप्राप्ति कार्रवाई के लिए उसे विभिन्न प्राधिकारियों को प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक है। नौसैनिक सम्भारिकी

समिति⁵ द्वारा प्रावधानीकरण की प्रक्रिया तथा अधिप्राप्ति को अन्तिम रूप देने से संबंधित फ्लोचार्ट निम्न प्रकार से है:

चित्र 2.2-प्रावधानीकरण तथा अधिप्राप्ति प्रक्रिया का फ्लोचार्ट




वित्तीय स्थिति

2010-11 से 2015-16 की अवधि के दौरान नौसैनिक भण्डार (एन.एस) तथा उपकरण तथा अतिरिक्त पुर्जों (ई एण्ड एस.पी) की अधिप्राप्ति हेतु लघु-शीर्ष 110-भण्डार के अन्तर्गत भारतीय नौसेना द्वारा कुल ₹6,731.75 करोड़ का व्यय किया गया था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है

⁵ नौसैनिक सम्भारिकी समिति- एन.एल.सी का अध्यक्ष, स्तर-1 के लिए सम्भारिकी नियंत्रक (सी.ओ.एल), स्तर-2 के लिए ए.सी.ओ.एल तथा स्तर-3 के लिए कमान स्तर पर सी.एल.ओ.जी.ओ/सी.एस.ओ (पी एण्ड ए) तथा स्तर-4 के लिए सामग्री संगठन पर सामग्री अधीक्षक (एम.एस) है। एन.एल.सी.ज़ के सदस्य है वित्तीय सलाहकार (एफ.ए), प्रापक (डी.पी.आर.ओ)/(सी.पी.आर.ओ), तकनीकी सदस्य (सी.टी.एस) तथा इंडेटर (सी.एम.पी)। अध्यक्ष अधिप्राप्ति के निर्णय सामान्यतः एन.एल.सी के सदस्यों की सहमति से लेता है। तथापि, अध्यक्ष तथा एन.एल.सी के अन्य सदस्यों के बीच किसी मतभेद के मामले में, अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

चित्र 2.3: व्यय के ब्यौरे



लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई थी:

- ✓ वर्तमान लेखापरीक्षा में शामिल कार्यक्षेत्र के हिसाब से क्या 2002 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 8 ए पर मंत्रालय की कार्रवाई टिप्पणियों (ए.टी.एन) (अप्रैल 2006) में सहमत उपचारी कार्रवाई कार्यान्वित की गई है?
- ✓ क्या अतिरिक्त पुर्जों के प्रावधानीकरण की पद्धतियाँ सरल बनाई गई हैं?
- ✓ क्या विद्यमान अधिप्राप्ति पद्धति प्रभावी है?
- ✓ क्या मांग सन्तुष्टि स्तर ईष्टतम है?
- ✓ क्या इनवेंट्री धारिता का प्रबंधन संतोषजनक है?
- ✓ एकीकृत सम्भारिकी प्रबंधन तंत्र (आई.एल.एम.एस) की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए) में नौसैनिक भण्डार तथा उपकरण एवं अतिरिक्त पुर्जों से संबंधित इनवेंट्री के प्रबंधन पर 2010-11 से 2015-16 की अवधि शामिल की गई थी तथा वह राजस्व अधिप्राप्ति के अन्तर्गत प्रावधानीकरण पर केन्द्रित थी। भारतीय नौसेना के इनवेंट्री प्रबंधन पर एक लेखापरीक्षा समीक्षा, भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के 2002 के प्रतिवेदन सं. 8ए में शामिल की गई थी। 2002 के प्रतिवेदन सं. 8 ए के लिए ए.टी.एन में की गई सिफारिशों की स्थिति वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल की गई है। नया एम.ओ होने के कारण एम.ओ (पी.बी) को छोड़कर सभी एम.ओज़ लेखापरीक्षा के लिए चुने गए थे।

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), नई दिल्ली में सम्भारिकी सहायता निदेशालय (डी.एल.एस) तथा अधिप्राप्ति निदेशालय (डी.पी.आर.ओ), जो नौसैनिक इनवेंट्री की योजना तथा अधिप्राप्ति में शामिल थे, को भी चुना गया था।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

- ✓ 2002 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 8ए पर मंत्रालय के ए.टी.एन (अप्रैल 2006)
- ✓ नौसैनिक भण्डारों/उपकरण की प्रावधानीकरण, अधिप्राप्ति तथा धारिता पर आदेश/दिशानिर्देश
- ✓ रक्षा अधिप्राप्ति नियमपुस्तिका (डी.पी.एम) 2009, तथा संबंधित रक्षा अधिप्राप्ति पद्धति (डी.पी.पी)
- ✓ सामग्री योजना नियमपुस्तिका (एम.पी.एम)-1995
- ✓ एकीकृत सम्भारिकी प्रबंधन तंत्र नियमपुस्तिका
- ✓ सामग्री प्रबंधन नियमपुस्तिका तथा अधिप्राप्ति नियमपुस्तिका
- ✓ नौसेना अनुदेश-एन.आई 1/एस/2006
- ✓ आधार तथा डिपो (बी एण्ड डी) अतिरिक्त पुर्जों की रेंजिंग तथा स्केलिंग पर दिशानिर्देश-2005 (आई.एन.बी.आर-622)
- ✓ भारतीय नौसैनिक पोतों तथा पनडुब्बियों के परिचालन एवं रीफिट चक्रों पर गोपनीय नौसैनिक आदेश
- ✓ आई.एन.बी.आर-12 (नौसैनिक भण्डार)

लेखापरीक्षा प्रणाली

रक्षा मंत्रालय तथा एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के कर्मचारियों के साथ 10 जुलाई 2015 को एक एण्ट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों तथा कार्य प्रणाली पर चर्चा की गई थी तथा मापदण्ड पर सहमति हुई थी।

सभी एम.ओज़ में इनवेंट्री के स्वचालित प्रबंधन अर्थात् एकीकृत सम्भारिकी प्रबंधन तंत्र (आई.एल.एम.एस) की शुरुआत की कुल इनवेंट्री/भंडार स्थिति, क्रय आदेशों, बनाए गए मांगपत्रों, वार्षिक पुनरीक्षणों, तथा मांग अनुपालन के आकड़ों के संदर्भ में विस्तार से जांच की गई थी। इसके अलावा जाँच एवं सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा दल को आई.एल.एम.एस की फ्रंट विंडों तक सीधी पहुँच भी उपलब्ध कराई गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए कम्प्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा तकनीकों (सी.ए.ए.टीज़) अर्थात् एम.एस एक्सल, आइडिया तथा टेबल्यू⁶ का प्रयोग करते हुए आकड़ों का विश्लेषण किया गया था।

⁶ एम.एस एक्सल: डॉटा विश्लेषण हेतु माइक्रोसॉफ्ट एक्सल।

आइडिया: एक दूसरे को प्रभावित करने वाला डॉटा निकर्षण तथा विश्लेषण-लेखापरीक्षा औजार के रूप में प्रयुक्त।

टेबल्यू: डॉटा विश्लेषण के बेहतर ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण हेतु प्रयुक्त एक उन्नत उपकरण।

अभिलेखों की जांच तथा लेखापरीक्षा जापन तथा प्रश्नावलियों को जारी करके सूचना के संग्रहण, के माध्यम से लेखापरीक्षा मानदण्ड के प्रति निष्पादन के मूल्यांकन हेतु जून 2015 तथा अक्टूबर 2016 की अवधि के बीच एम.ओज़ में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा ने एम.ओज़ में प्रयुक्त कम्प्यूटीकृत पैकेजों से लिए गए आंकड़ों का भी विश्लेषण किया था।

मंत्रालय के उत्तर के साथ-साथ एगिज़िट कांग्रेस भी प्रतीक्षित थी (मार्च 2017)।

आभार

हम निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान मांगे गए दस्तावेजों, सूचना तथा किए गए लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर देने में के एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), मुम्बई, विशाखापत्तनम, कोच्चि तथा कारवार के सामग्री संगठनों द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.3 प्रावधानीकरण

नौसैनिक सामग्री प्रबंधन के संदर्भ में प्रावधानीकरण का अर्थ मांगपत्र के माध्यम से एक मद को अधिप्राप्त करने के लिए प्राधिकार देने से है। प्रारम्भिक प्रावधानीकरण वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सेवा में लेने के समय पोतों पर अतिरिक्त पुर्जों (ओ.बी.एस) तथा बेस तथा डिपो (बी और डी) अतिरिक्त पुर्जों की (पांच वर्षों के लिए) आवश्यकताओं को पूरा करना है जो मूलतः पूंजीगत अधिप्राप्ति के अन्तर्गत आते हैं। पुनः पूर्ति प्रावधानीकरण भंडार के रूप में तीन वर्ष का औसत उपभोग अनुरक्षित करने के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर पोतों तथा स्थापनाओं की आवश्यकताएं निर्धारित करने की प्रक्रिया है। लेखापरीक्षा ने राजस्व अधिप्राप्ति के अन्तर्गत वर्णित की गई पुनः पूर्ति प्रावधानीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया।

पुनः पूर्ति प्रावधानीकरण के अन्तर्गत किसी दी गई मद की अधिप्राप्ति मात्रा (पी.क्यू) निकालते समय विभिन्न प्राचलों जैसे उपलब्ध भंडार, इयूज़-इन⁷, इयूज़-आऊट⁸, वार्षिक उपभोग स्तर (ए.सी.एल), उपभोग पूर्वानुमान, मद की महत्ता, मद का मूल्य, लीड समय⁹ तथा निर्धारित जीवनकाल को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम (ए.आर.पी) के अनुसार वार्षिक आधार पर नौसैनिक इन्वेंट्री की समीक्षा प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है। प्रणाली पर समीक्षा प्रसंस्करण करने के पश्चात् मांग को अन्तिम रूप दिया जाता है तथा प्रावधानीकरण अधिकारी (पी.ओ) अधिप्राप्ति का अनुरोध करता है जिसे "मांग पत्र" कहते हैं। डी.एल.एस/एकीकृत

⁷ इयूज़ इन: पिछले क्रय आदेशों के प्रति प्रत्याशित आपूर्तियां

⁸ इयूज़-आऊट: ग्राहकों/प्रयोक्ताओं से लम्बित मांग जो अभी पूरी नहीं हुई

⁹ लीड समय: अनुमानित औसत अवधि को महीनों में प्रतिरूपित करता है, जो प्रावधानीकरण प्राधिकारी द्वारा मांग करने की तारीख तथा प्रेषिती स्थापना में भण्डार की भौतिक प्राप्ति के बीच समाप्त हो जाती है।

मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम (ए.आर.पी) के रूप में प्रणाली आधारित समीक्षाओं हेतु नीति लागू की जाती है।

2.3.1 प्रावधानीकरण फॉर्मूले का विश्लेषण

पुनः प्राप्ति प्रावधानीकरण में मांग का निर्धारण, के माध्यम से एक स्वचालित फार्मूला आधारित प्रक्रिया के माध्यम अर्थात् आई.एल.एम.एस से किया जाता है। उसके पश्चात् भावी उपभोग के पिछले उपभोग से भिन्न होने की संभावना किस प्रकार है इस पर प्रावधानीकरण अधिकारी की विशेषज्ञ समीक्षा (पी.ओ.ई.आर) के आधार पर परिवर्धन अथवा व्यवकलन किए जाते हैं अस्थायी अधिप्राप्ति मात्रा (पी.पी.क्यू) तथा निश्चित अधिप्राप्ति मात्रा (एफ.पी.क्यू) के रूप में आवश्यकता के परिकलन हेतु फार्मूले की व्याख्या अनुलग्नक-1 में की गई है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तंत्र आधारित प्रावधानीकरण फार्मूला द्वारा सृजित अधिप्राप्ति मात्रा अधिक थी तथा अनुमानित मात्रा, विद्यमान फार्मूले में बीजगणितीय विसंगति के कारण तीन से छः वर्षों के वार्षिक उपभोग की आवश्यकता के समान थी जिसकी व्याख्या अनुलग्नक-11 में की गई है।

इस प्रकार, न्यूनतम तथा अधिकतम भंडार के बीच के स्तर को बनाए रखने के बजाए, प्रणाली, सामग्री योजना नियमपुस्तिका-1995, जिसमें प्रावधान है कि अपवादिक मामलों को छोड़कर जहां प्रावधानीकरण अधिकारियों को तीन वर्षों से अधिक की वार्षिक उपयोग मांग को पूरा करने के लिए कारण दर्ज करने होते हैं, एफ.पी.क्यू सामान्यतः तीन वर्षों के वार्षिक उपयोग से अधिक नहीं होनी चाहिए, के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अधिक अधिप्राप्ति मात्रा का सृजन करती है।

पी.ओ.ई.आर को जोड़ने अथवा घटाने से पी.पी.क्यू का एफ.पी.क्यू में सुधार एक जानबूझ कर की जाने वाली कार्यवाही है जो संगत कोडों अर्थात् आर, एफ, एन, ओ¹⁰ का प्रयोग करते हुए प्रावधानीकरण अधिकारी द्वारा दर्ज की जानी चाहिए। जहाँ पर पी.ओ.ई.आर, आर, एफ तथा एन कोडों के इस्तेमाल से मात्रा को बढ़ाता है जबकि केवल कोड-ओ मात्रा को कम करने के लिए प्रदान किया गया है। सामग्री योजना पुस्तिका (एम.पी.एम)-1995 के अनुसार योजना अधिकारियों द्वारा पी.पी.क्यू में और किसी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं है। लेखापरीक्षा ने देखा कि पी ओ ई आर, एफ.पी.क्यू निकालने के लिए प्रणाली सृजित पी.पी.क्यू को कम करने के लिए बड़ी मात्रा में मानवीय हस्तक्षेप कर रहे थे जिसका वर्णन नीचे किया गया है।

¹⁰ आर- रीफिट पूर्वानुमान जो उचित माना गया है, एफ- निर्धारित भावी रूटिन, एन- नई मर्दे तथा ओ- अपचलन पूर्वानुमान

एम.पी.एम-1995 में प्रावधान है कि एफ.पी.क्यू = पी.पी.क्यू + पी.ओ.ई.आर, जहां पी.ओ.ई.आर का प्रयोग ई.वी तथा ई.वी समेकक¹¹ द्वारा किया जाता है। ई.वी., पी.पी.क्यू को बढ़ाने अथवा घटाने का मूल्यांकन कोड है। इस प्रकार, पी.पी.क्यू में जमा/घटा पी.ओ.ई.आर द्वारा दो अवस्थाओं में किया जा रहा है: पहली अवस्था में ई.वी की मात्रा पी.ओ. अर्थात् एम.ओज़ में सामग्री योजना नियंत्रक (सी.एम.पी) द्वारा घटाई अथवा बढ़ाई जाती है तथा इसके पश्चात् दूसरी अवस्था में किया गया परिवर्तन अन्तिम अनुमोदन हेतु सी.एफ.ए अर्थात् एम.ओज़ में एम.एस अथवा एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में निदेशक सम्भारिकी सहायता (डी.एल.एस) को प्रस्तुत किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने प्रत्येक एम.ओ से एक समीक्षा का विश्लेषण किया (सितम्बर 2015/जनवरी 2016) तथा यह देखा गया था कि ई.वी तथा ई.वी समेकक को लागू करके पी.पी.क्यू पहली तथा दूसरी अवस्था पर घटाए अथवा बढ़ाए गए थे जैसा कि अनुलग्नक-III में स्पष्ट किया गया है। 2009 से 2014¹² के कैलेण्डर वर्षों के दौरान पुनः पूर्ति प्रावधानीकरण के लिए आई.एल.एम.एस पर की गई समीक्षा के आंकड़ों का लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गया था तथा पी.पी.क्यू को एफ.पी.क्यू में बदलने की प्रतिशतता (इनवेंट्री के प्रकार के अनुसार) का सार नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 2.1 पी.पी.क्यू को एफ.पी.क्यू में बदलने का सार

सामग्री संगठन का नाम	एफ.पी.क्यू में परिवर्तित पी.पी.क्यू की प्रतिशतता का विस्तार		
	नौसैनिक भण्डार (एन. एस)	ई एण्ड एस.पी ¹³ (गैर -रूसी)	ई एण्ड एस.पी (रूसी)
एम.ओ (एम बी)	3.43 से 48.40	4.85 से 25.44	0.39 से 42.60
एम.ओ (वी)	1.13 से 30.37	6.83 से 23.67	0.22 से 34.32
एम.ओ (के)	0.02 से 36.11	2.52 से 28.71	शून्य
एम.ओ (के डब्ल्यू)	5.80 से 80.21	5.63 से 51.47	शून्य

स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

प्रणाली सृजित पी.पी.क्यू को एफ.पी.क्यू में बदलने की कम प्रतिशतता, जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, जोकि इस बात की सूचक है कि वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम (ए.आर.पीज़) आधारित

¹¹ ई.वी- विशेषज्ञ मूल्यांकक, इस मामले में सामग्री योजना नियंत्रक (सी.एम.पी) है।

ई.वी-समेकक- इस मामले में सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सी.एफ.ए) - एम.ओ में सामग्री अधीक्षक (एम.एस) तथा एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में निदेशक सम्भारिकी सहायता (डी.एल.एस) है जो अन्तिम प्रावधानीकरण मांग का समेकन करता है।

¹² एक वर्ष में की गई समीक्षाओं को पूरा होने में समय लगता है। इस विचार के साथ वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक के प्रति ए.आर.पी की समीक्षा की गई थी ताकि इस पी.ए में शामिल की गई अवधि के साथ उसका मिलान किया जा सके।

¹³ ई. एण्ड एस.पी - उपकरण तथा अतिरिक्त पुर्जे

आई.एल.एम.एस प्रावधानीकरण मांग का सही अनुमान लगाने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य नहीं कर रहे थे तथा स्वचालित प्रतिपूर्ति प्रावधानीकरण प्रणाली की प्रभावकारिता संतोषजनक नहीं थी।

इस प्रकार, स्वचालित प्रणाली आधारित पुनः प्राप्ति प्रावधानीकरण प्रक्रिया जो पी.ओ.ई.आर के न्यूनतम हस्तक्षेप का आश्वासन देते हुए अधिप्राप्ति की अधिक संक्षिप्त मांग के सृजन की उत्तरदायी थी, ने प्रावधानीकरण फॉर्मूले में अन्तर्निष्ठ त्रुटि, जो तीन से छः वर्षों की वार्षिक मांग का परिकलन करती है, के कारण अपना वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया था, जिसके कारण सभी मामलों में पी.ओ.ई.आर का हस्तक्षेप अपरिहार्य हो गया तथा कम्प्यूटरीकरण तथा स्वचालन का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, पूर्ण मानवीय हस्तक्षेप के लिए दिशानिर्देशों के अभाव/किसी नीति के अभाव में प्रावधानीकरण अधिकारी की कोई जवाबदेही तय नहीं की जा सकी तथा आई.एल.एम.एस में सृजित डॉटा पी.ओ.ई.आर के सचेतन निर्णय पर आधारित है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तर में, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने वर्तमान पी.क्यू फॉर्मूले में अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप/त्रुटि की मौजूदगी स्वीकार की (सितम्बर 2016) तथा मौजूदा प्रावधानीकरण फॉर्मूले में संशोधन हेतु सहमति व्यक्त की। अतः एम.पी.एम-1995 के प्रावधानों को नया रूप देने तथा उनमें संशोधन करने की आवश्यकता है।

2.3.2 वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम के माध्यम से पुनः पूर्ति प्रावधानीकरण (ए.आर.पी)

वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम (ए.आर.पी) पुनः प्राप्ति प्रावधानीकरण का मुख्य आधार है। इसकी प्रभावकारिता तथा दक्षता को स्थापित करने के लिए, लेखापरीक्षा ने ए.आर.पी के अन्दर तथा बाहर की गई अधिप्राप्ति की प्रमात्रा, समीक्षित मदों को मांगपत्रों में बदलने में लिए गए समय की जांच की जिसकी चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

2.3.2.1 ए.आर.पी¹⁴ के अन्दर तथा बाहर अधिप्राप्ति

ए.आर.पी से बाहर अधिप्राप्ति ग्राहकों से प्राप्त विशिष्ट मांगों, बी फार्म¹⁵ तथा पूर्वानुमान आधारित मांगों के आधार पर एम.ओज़/एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा मांगपत्र बनाकर की जाती है।


¹⁴ इस पैरे को एम.ओज़ में यू.एस.एल से अधिक रखी गई इनवेंट्री के संबंध में पढ़ा जाना चाहिए (पैरा 2.6.2.1) क्योंकि लेखापरीक्षा के पास ए.आर.पी से बाहर की गई अधिप्राप्ति की मात्रा की तुलना में रखी गई अधिक इनवेंट्री का पता लगाने के लिए आई.एल.एम.एस की सीमित पहुँच थी।

¹⁵ बी फार्म- ये उपकरणों तथा अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति के लिए व्यावसायिक निदेशालयों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने अपने 2002 के प्रतिवेदन में ए.आर.पी से बाहर की जा रही अच्छी खासी अधिप्राप्ति पर टिप्पणी की थी जिसमें 1998-99 से 2000-01 की अवधि के दौरान एम.ओ (एम बी) तथा एम.ओ (वी) के लिए ए.आर.पी से बाहर अधिप्राप्ति की मात्रा (अर्थात मदों की मात्रा) क्रमशः 44 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत थी। प्रत्युत्तर में, भारतीय नौसेना ने तब कहा था कि आई. एल.एम.एस में प्रगामी आंकड़ों के परिष्करण के परिणामस्वरूप ए.आर.पी से बाहर अधिप्राप्ति को घटाने के लिए कदम उठाए गए हैं तथापि, इस मामले पर मंत्रालय के ए.टी.एन (2006) में कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने 2010-11 से 2015-16 के दौरान एम.ओज़ द्वारा ए.आर.पी के अन्दर तथा बाहर अधिप्राप्ति की प्रमात्रा (अर्थात मदों की मात्रा तथा लागत) का विश्लेषण किया (दिसम्बर 2015/ नवम्बर 2016) जिसका वर्णन नीचे किया गया है:

चित्र: 2.4 ए.आर.पी के अन्दर तथा बाहर अधिप्राप्ति की तुलना



स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

चित्र 2.4 में दिए गए आंकड़ों की 2002 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से तुलना करने पर पता चलता है कि एम.ओ (एम बी) ने ए.आर.पी से बाहर अधिप्राप्ति घटा दी थी (19.48 प्रतिशत), जबकि इसके विपरीत एम.ओ (वी) ने बढ़ाई थी (35.38 प्रतिशत)। इसके अतिरिक्त, एम.ओ (के) द्वारा ए.आर.पी से बाहर अधिप्राप्ति अधिक थी (40.49 प्रतिशत) जबकि एम.ओ (के डब्ल्यू) का निष्पादन अपेक्षाकृत बेहतर था (21.39 प्रतिशत)।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए एम.ओ (एम बी) ने कहा (दिसम्बर 2016) कि सामान्य/कम लागत वाली मर्दे समीक्षा/ए.सी.एल/एम.एस.एल¹⁶ मात्रा के आधार पर अधिप्राप्त की गई थी। तथापि, उच्च मूल्य की मर्दे मांग के प्रति अधिप्राप्त की जाती हैं और इसलिए ए.आर.पी से बाहर की प्रतिशतता लागत अधिक है। एम.ओ (के) ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार किए और कहा (जनवरी 2016) कि उच्च मूल्य के स्वरूप वाली मर्दों की प्रावधानीकरण विद्यमान इयूज आऊट को परिपक्व करने तथा ए.सी.एल/एम.एस.एल अनुरक्षित करने के लिए की जाती है। इसके अतिरिक्त एम.ओ (के) ने प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा निदेशित तथा ए.आर.पी से बाहर मांग आधारित मांगपत्रों की व्यवस्था की जो ए.आर.पी के अन्दर निष्पादित नहीं किए जा सकते, के प्रति प्रावधान किया गया, समीक्षा से बाहर तदर्थ अधिप्राप्तियाँ की जैसे ए.बी.ई.आर¹⁷, एफ.सी.एल, महत्वपूर्ण पुर्जे चूंकि ये मर्दे सामान्यतः उच्च मूल्य स्वरूप की होती हैं, अतः वह कुल अधिप्राप्त लागत का 64.50 प्रतिशत होती हैं। तथापि तथ्य यह है कि ए.आर.पी. से बाहर मर्दे अधिप्राप्त करने के लिए एम.ओ (के) द्वारा अपनाई गई प्रवृत्ति एक अच्छी प्रथा नहीं हैं। अन्य दो एम.ओज़ के उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 2017)।

2.3.2.2 मांग पत्रों को पूरा करने के लिए लिया गया समय

ए.आर.पी कैलेण्डर में समेकन की तिथि से मांग पत्रों को पूरा करने के लिए एक महीने की विशिष्ट समय सीमा निर्धारित है। नौसैनिक इनवेंट्री के आकार को ध्यान में रखते हुए, समीक्षाएं समूहों में, भिन्न-भिन्न समय में, निर्धारित आवृत्ति के साथ की जाती हैं। ए.आर.पी कैलेण्डर के अनुसार, ए.आर.पी के अन्तर्गत समीक्षित मर्दों के समेकन तथा मांग के लिए समापन की तिथि सहित आई.एल.एम.एस प्रणाली में अतिरिक्त विशेष समीक्षाओं के लिए कुछ अपवादों के साथ हर वर्ष नौसैनिक भण्डारों के लिए चार समीक्षाएं, गैर रूसी भण्डारों (एन.आर) के लिए दो समीक्षाएं तथा रूसी भण्डारों (आर.एस) के लिए एक समीक्षा की जाती है।

लेखापरीक्षा ने ए.आर.पी के रूप में आई.एल.एम.एस में नौसैनिक इनवेंट्री की समीक्षा हेतु डी.एल.एस/एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रवर्तित वार्षिक समीक्षा कैलेण्डर का विश्लेषण एम.ओज़ द्वारा प्रस्तुत इसके वास्तविक कार्यान्वयन के साथ किया (जुलाई 2016) जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

एम.ओ (के डब्ल्यू): यद्यपि ए.आर.पी कैलेण्डर में 30 दिन निर्धारित हैं, तथापि, मांगपत्र के लिए लिया गया समय 3 से 18 महीने के बीच था।

¹⁶ ए.सी.एल- वार्षिक उपभोग स्तर,

एम.एस.एल- न्यूनतम भंडार स्तर जिससे नीचे मद का स्टॉक नहीं होना चाहिए।

¹⁷ ए.बी.ई.आर - अनुमानित किफायती मरम्मत से परे

एम.ओ (एम बी): ए.आर.पी में निर्धारित समय सीमा के संबंध में प्रत्येक मामले में दो महीने से अधिक का विलम्ब था।

इस प्रकार, मांगपत्र देने के लिए ए.आर.पी में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया गया था, जिसके कारण अधिप्राप्ति में विलम्ब हुआ। एम.ओ (वी) तथा एम.ओ (के) के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2017)।

2.3.3 अधिप्राप्ति मात्रा में आवश्यकता से अधिक वृद्धि

एम.पी.एम-1995 में निहित प्रावधानों के अनुसार, पी.ओ.ई.आर, पी.पी.क्यू को बदलने के लिए प्रावधानीकरण अधिकारी (पी.ओ) द्वारा एक जानबूझ कर की गई कार्रवाई है तथा एक मांगपत्र में विशिष्ट मूल्यांकन कोड (ई.वी कोड) का इस्तेमाल करते हुए पी.ओ.ई आर द्वारा परिवर्तन अवश्य दर्ज किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा (सितम्बर 2015 से जनवरी 2016)¹⁸ कि पी.ओ.ई.आर को जोड़कर पी.पी.क्यू में वृद्धि के पश्चात् एम.ओ.ज़ द्वारा ₹499.19 करोड़ मूल्य की मर्दे खरीदी गई थी तथा ये मर्दे भंडार में यू.एस.एल से अधिक रखी गई थी। इनमें से, ₹184 करोड़ मूल्य की मर्दे विशिष्ट ई.वी कोड दर्ज किए बिना पी.ओ.ई.आर को जोड़ने के पश्चात् अधिप्राप्त की गई थी जिसका ब्यौरा निम्न तालिका 2.2 में दिया गया है:

तालिका 2.2 पी.ओ.ई.आर द्वारा अधिप्राप्ति मात्रा की वृद्धि

सामग्री संगठन का नाम	01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2016 तक अधिप्राप्त की गई मर्दे जो नवम्बर 2016 को यू.एस.एल से अधिक भंडार में पड़ी हैं		पी.ओ.ई.आर जोड़ने के पश्चात् 2010-11 से 2014-15 ¹⁹ तक की गई समीक्षाओं के प्रति की गई अधिप्राप्तियां जो यू.एस.एल से अधिक भंडार में पड़ी हुई हैं (नवम्बर 2016)		कॉलम (4) में से, ई.वी कोड दर्शाए बिना पी.ओ.ई.आर को जोड़ने के पश्चात् की गई अधिप्राप्ति जो यू.एस.एल से अधिक भंडार में पड़ी हुई हैं।	
	मर्दों की संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)	मर्दों की संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)	मर्दों की संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7
एम.ओ (एम बी)	28,091	1,221.84	9,350	348.23	1,049	65.97
एम.ओ (वी)	34,907	3,041.34	5,793	95.25	892	10.33
एम.ओ (के)	11,052	99.24	1,752	13.77	4,575	79.74
एम.ओ (के डब्ल्यू)	10,309	118.35	4,602	41.94	2,595	27.97
योग	84,359	4,480.76	21,497	499.19	9,111	184.00

स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

¹⁸ लेखापरीक्षा टिप्पणी जारी होने के पश्चात् अधिप्राप्ति विवरण 31 मार्च 2016 तक अद्यतित किए गए तथा भंडार स्थिति नवम्बर 2016 तक अद्यतित की गई।

¹⁹ 2015-16 के दौरान की गई समीक्षाओं के मामले हिसाब में नहीं लिए गए क्योंकि मांगपत्रों तथा प्रावधानीकरण के लिए समय की आवश्यकता है और इस लिए उन पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।

लेखापरीक्षा टिप्पणी के उत्तर में, एम.ओ (के) ने कहा (नवम्बर 2015) कि जहां भी सम्भव था ई.वी कोड दर्ज किया गया था। एम.ओ (के डब्ल्यू) ने कहा (दिसम्बर 2015) कि ई.वी कोड केवल ई एण्ड एस.पी के लिए प्रयोग किए गए थे तथा नौसैनिक भण्डारों में उनका प्रयोग पूर्णतः लागू नहीं था। एम.ओज़ का दावा तर्कसंगत नहीं है क्योंकि फरवरी 2001 में जारी एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के निदेशों के अनुसार, जहां भी व्यावसायिक मूल्यांकन के माध्यम से पी.पी.क्यू में परिवर्तन किया गया है, वहां ई.वी कोड लागू करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, एम.पी.एम-1995 के अनुसार नौसैनिक भण्डारों के संबंध में भी ई.वी कोड लागू किए जाने हैं। एम.ओ (एम बी) (अगस्त 2016) में, पी.पी.क्यू से एफ.पी.क्यू में आशोधन व्यावसायिक अधिकारी द्वारा किया गया था और जहां ई.वी कोड उल्लिखित नहीं किए गए थे, आई.एल.एम.एस में 'टिप्पणी स्थानीय क्षेत्र' में टिप्पणी अद्यतित कर दी गई थी। निर्धारित पद्धति से अलग होने के कारण उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

पी.ओ.ई.आर लागू करके मदों की अधिप्राप्ति उचित नहीं है क्योंकि 21,497 मदें अभी भी भंडार में यू.एस.एल से अधिक मात्रा में पड़ी हुई थी (नवम्बर 2016)। इसके अतिरिक्त, निर्धारित प्रतिमानों का उल्लंघन करते हुए ₹184 करोड़ मूल्य की इनवेंट्री जो भंडार में पड़ी हुई थी के संबंध में कोई भी ई.वी कोड नहीं दर्शाए गए थे।

2.3.4 चुनिंदा इनवेंट्री नियंत्रण तंत्र का अभाव

नौसैनिक इनवेंट्री का ए बी सी /वी ई डी श्रेणी में वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अधिप्राप्ति का आधार है। ए बी सी, वार्षिक उपयोग पर आधारित इनवेंट्री वर्गीकरण की एक प्रणाली है। जबकि वी ई डी, मदों के महत्व पर आधारित इनवेंट्री वर्गीकरण की एक प्रणाली है। अर्थात् अत्यावश्यक (वी), अनिवार्य (ई) तथा वांछनीय (डी)। ए बी सी विश्लेषण (चुनिंदा इनवेंट्री नियंत्रण) भंडार का पता लगाने के लिए एक इनवेंट्री श्रेणीकरण तकनीक है जिसके लिए उच्च मूल्य वाली मदों पर कड़े नियंत्रण की आवश्यकता है जिसके कारण समग्र इनवेंट्री लागत प्रभावित होती है। इनवेंट्री विश्लेषण में मानदण्ड जो किसी मद के लिए नियंत्रण के पर्याप्त स्तर को महत्त्वपूर्ण बनाते हैं, दो कारकों पर आधारित है (i) प्रयोग की दर अर्थात् वार्षिक उपभोग सीमा तथा (ii) इकाई मूल्य। वार्षिक उपभोग मूल्य निकालने के लिए इन दो कारकों को गुणा किया जा सकता है।

एम.पी.एम-1995 के अनुसार नौसैनिक इनवेंट्री में ए बी सी का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

- ए - वार्षिक उपभोग मूल्य ₹5 लाख से ऊपर
- बी - वार्षिक उपभोग मूल्य ₹0.5 लाख तथा ₹5 लाख के बीच
- सी - वार्षिक उपभोग मूल्य ₹0.5 लाख से कम

2.3.4.1 ए बी सी वर्गीकरण का संशोधन न होना

लेखापरीक्षा ने प्रयोज्य चल इनवेंट्री का विश्लेषण किया (सितम्बर 2015/ अगस्त 2016) जहां समूचे एम.ओज़ में अन्तिम क्रय मूल्य के साथ-साथ तीन वर्षों के औसत उपयोग मूल्य भी उपलब्ध थे। एम.ओज़ में इनवेंट्री के ए बी सी श्रेणीकरण के ब्यौरे अनुलग्नक-IV में दिए गए हैं। अपनी ए बी सी श्रेणी में न आने वाली मदों तथा एम.पी.एम-1995 में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार, वार्षिक उपभोग के आधार पर अन्य श्रेणियों में अतिक्रमण करने वाली मदों का सार नीचे तालिका 2.3 में दिया गया है।

तालिका 2.3 नौसैनिक इनवेंट्री के ए बी सी श्रेणीकरण की स्थिति


क्रम संख्या	अन्य श्रेणियों में अतिक्रमण करने वाली श्रेणी ए मदों की सं.		अन्य श्रेणियों में अतिक्रमण करने वाली श्रेणी बी मदों की सं.		अन्य श्रेणियों में अतिक्रमण करने वाली श्रेणी सी मदों की सं.	
	श्रेणी-बी	श्रेणी-सी	श्रेणी-ए	श्रेणी-सी	श्रेणी-ए	श्रेणी-बी
एम ओ (एम बी)	1,087	1,188	195	4,708	1,531	5,784
एम ओ (वी)	650	983	482	7,195	3,009	9,482
एम ओ (के)	304	333	32	1,565	369	1,821
एम ओ (के डब्ल्यू)	400	973	218	1,928	406	2,301

स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

उपर्युक्त तालिका 2.3 से पता चलता है कि जो मदें श्रेणी ए में होनी चाहिए थी, बी तथा सी श्रेणियों में इंगित गई हैं तथा अन्य श्रेणियों की मदों के लिए भी ऐसा ही है। यह इस बात का सूचक है कि श्रेणी ए, बी तथा सी श्रेणियों में इनवेंट्री के श्रेणीकरण की गतिशील समीक्षा निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार नहीं है इसलिए यह इनवेंट्री धारिता का गलत चित्र प्रस्तुत करता है।

इसके अलावा, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने वार्षिक उपभोग मूल्य के प्रति कुल इनवेंट्री की प्रतिशतता के रूप में, ए, बी तथा सी श्रेणी में मदों के वर्गीकरण हेतु दिशानिर्देश जारी किए (जुलाई 2010/जनवरी 2011)।


चित्र: 2.5 ए बी सी वर्गीकरण के प्रतिमान



स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदान की गई सूचना


निर्धारित प्रतिमानों के प्रति ए, बी तथा सी श्रेणियों में कुल इन्वेन्ट्री का एक विश्लेषण (अगस्त 2016) अनुलग्नक-V में नीचे दिया गया है जिसका सार नीचे दिया गया है:

चित्र: 2.6: 31 जुलाई 2016 को ए बी सी श्रेणी में कुल इन्वेन्ट्री का प्रतिशत



स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

चित्र: 2.7 अगस्त 2015 से अगस्त 2016 तक ए बी सी श्रेणी में वार्षिक उपयोग का प्रतिशत



स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

उपर्युक्त तथ्य दर्शाते हैं कि एम.ओज़ में वार्षिक उपयोग मूल्य की तुलना में कुल प्रयोज्य इन्वेन्ट्री के संदर्भ में ए, बी तथा सी श्रेणियों में मदों की धारिता की निर्धारित प्रतिशतता का पालन नहीं किया गया था जिसके कारण ए बी सी श्रेणीकरण की असामान्य पद्धति दर्शाई गई और इसलिए चुनिंदा इन्वेन्ट्री नियंत्रण तन्त्र के प्रतिमानों का अभाव था जिससे इन्वेन्ट्री नियंत्रण के अन्य पक्ष प्रभावित हुए जैसेकि समीक्षा प्रावधानीकरण के जरिए पी.पी.क्यू, न्यूनतम भंडार स्तर (एम.एस.एल) तथा ऊपरी भंडार स्तर (यू.एस.एल) जो अनुलग्नक-1 में संदर्भित हैं।

2.4 अधिप्राप्ति


लेखापरीक्षा ने अधिप्राप्ति से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच की जैसे उसकी विधि, आन्तरिक लीड समय का पालन करना, अप्रचलित मदों की अधिप्राप्ति, स्वीकार्य दरों के औचित्य तथा विक्रेता प्रबंधन जिनकी चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

2.4.1 एम.ओज़ द्वारा अपनाई गई अधिप्राप्ति की विधियाँ

लेखापरीक्षा ने एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) तथा एम.ओज़ द्वारा अपनाई गई अधिप्राप्ति की विधियों के संदर्भ में 2010-11 तथा 2015-16 के बीच दिए गए क्रय आदेशों (पी.ओज़) की जांच की (मार्च 2016)²⁰ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

²⁰ 31 मार्च 2016 को अद्यतित आंकड़े

चित्र 2.8: अधिप्राप्ति की विधियां



स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

यह देखा गया कि पी.ए.सी, एस.टी.ई तथा एल.टी.ई²¹ के आधार पर सम्पन्न किए गए क्रय आदेशों की प्रतिशतता क्रमशः 15.70, 21.16 तथा 50.00 थी जबकि ओ.टी.ई तथा आर.सी²² के आधार पर सम्पन्न किए गए पी.ओ.ज़ की प्रतिशतता क्रमशः केवल 2.69 तथा 10.45 थी। पी.ए.सी, एस.टी.ई तथा एल.टी.ई पर आधारित अधिप्राप्ति के कारण कम प्रतिस्पर्धा/एकाधिकार की स्थिति तथा परिणामतः उच्च दरें होती हैं।

भारतीय नौसेना ने पी.ए.सी/एल.टी.ई को अपनाने के कारणों के लिए, आपूर्ति का सीमित स्रोत, भारतीय नौसेना के लिए विशिष्ट मांग, रूस द्वारा पार्ट संख्याओं का खुलासा न करना, बताए (अगस्त 2016)। भारतीय नौसेना के दावे पर सहमति व्यक्त नहीं की जा सकती, क्योंकि पी.ए.सी तथा एल.टी.ई विधियां एक जैसी मर्दों की प्राप्ति के लिए गई थी, जो इस बात का सूचक है कि किसी विशेष फार्म को पी.ए.सी का दर्जा देना विवेकपूर्ण नहीं था।

2.4.2 मांगपत्र से अधिप्राप्ति तक आन्तरिक लीड समय²³

रक्षा अधिप्राप्ति नियमपुस्तिका (डी.पी.एम-2009) के अनुसार, मांगपत्रों की जांच तथा पंजीकरण से शुरू होकर क्रय आदेश देने तक के लिए क्रियाकलापों के लिए एकल तथा द्वि-बोली प्रणालियों के लिए निर्धारित समय (आंतरिक लीड समय) क्रमशः 19 तथा 23 सप्ताह हैं। लेखापरीक्षा ने

²¹ पी.ए.सी- मालिकाना वस्तु प्रमाणपत्र एस.टी.ई- एकल निविदा पूछताछ एल.टी.ई- सीमित निविदा पूछताछ

²² ओ.टी.ई- खुली निविदा पूछताछ, आर.सी- दर अनुबंध

²³ आन्तरिक लीड समय- यह मांग पत्र की तिथि तथा क्रय आदेश की तिथि के बीच लिया गया समय है।

देखा कि जांच तथा पंजीकरण के स्तर से जांचपत्रों के अनुमोदन में विलम्ब थे। इसके अतिरिक्त, मांगपत्रों के अनुमोदन के पश्चात् भी क्रय आदेश देने में विलम्ब देखा गया था।

2.4.2.1 मांगपत्रों के अनुमोदन में विलम्ब

डी.पी.एम में मांगपत्र की जांच तथा पंजीकरण के लिए एक सप्ताह की अवधि का प्रावधान है। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना)/एम.ओज़ द्वारा मांगपत्रों के अनुमोदन में काफी विलम्ब था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.4 मांगपत्रों के अनुमोदन हेतु लिया गया समय

मांगपत्रों के अनुमोदन हेतु लिया गया समय	01.04.2010 से 31.03.2015 ²⁴ तक बनाए गए मांग पत्र						कुल मांग पत्रों की प्रतिशतता
	एम.ओ (एम बी)	एम.ओ (वी)	एम.ओ (के)	एम.ओ (के डब्ल्यू)	एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय	कुल	
1 सप्ताह के अन्दर अनुमोदित	434	1,146	506	692	28	2,806	18.08
2 से 23 सप्ताह	3,550	4,181	1,140	1,476	160	10,507	67.68
23 सप्ताह से अधिक	635	325	182	36	25	1,203	7.75
अभी अनुमोदित किए जाने बाकी हैं	245	599	126	13	24	1,007	6.49
योग	4,864	6,251	1,954	2217	237	15,523	

स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

इस प्रकार, केवल 18.08 प्रतिशत मांगपत्र एक सप्ताह की निर्धारित समय सीमा के अन्दर अनुमोदित किए गए थे जबकि 7.75 प्रतिशत मांगपत्र 23 सप्ताह के बाद अनुमोदित किए गए थे जो वस्तुतः क्रय आदेश देने तक सभी क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा है। इस प्रकार, प्रावधानीकरण एजेंसियों द्वारा मांगपत्रों के अनुमोदन में अत्यधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप क्रय आदेश देने में विलम्ब हुआ।

एम.ओ (एम बी)/एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा अपने उत्तर (अक्टूबर 2015/ अगस्त 2016) में इस मामले पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों (सितम्बर 2015/दिसम्बर 2015) का समाधान नहीं किया गया था।


2.4.2.2 क्रय आदेश देने में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने देखा (सितम्बर 2015 से दिसम्बर 2015) कि एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना)/एम.ओज़ द्वारा अप्रैल 2010 से मार्च 2015²⁵ तक बनाए गए 15,523 मांग-पत्रों में से केवल 11,886 (76.57 प्रतिशत) मांगपत्र ही 31 मार्च 2016 तक क्रय आदेशों में परिवर्तित किए जा सके जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

²⁴ 2015-16 के दौरान बनाए गए मांगपत्र हिसाब में नहीं लिए गए क्योंकि उनके अनुमोदन में वर्ष 2015-16 के बाद तक विलम्ब होगा।

²⁵ 2015-16 में शुरू किए गए मामलों/मांग पत्रों को हिसाब में नहीं लिया गया क्योंकि इनका क्रय आदेशों में परिवर्तन में समय लगता है।

चित्र: 2.9 कुल मांग पत्रों के क्रय आदेशों में परिवर्तन (प्रतिशतता में)



स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि मार्च 2016 को, वर्ष 2014-15 के दौरान अनुमोदित कुल मांगपत्रों में से, क्रय आदेशों में मांगपत्रों का परिवर्तन 24.5 से 85.0 प्रतिशत के बीच रहा जबकि 2010-11 के दौरान मांगपत्रों का क्रय आदेशों में परिवर्तन 33.8 से 94.9 प्रतिशत के बीच रहा। इससे यह पता चलता है कि बाद के वर्षों में मांगपत्रों के क्रय आदेशों में परिवर्तन में अधिक समय लिया गया।

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना)/एम.ओज़ द्वारा उपर्युक्त 11,886 मांगपत्रों की तुलना में 31 मार्च 2016 को मांगपत्रों के क्रय आदेशों में परिवर्तन में विलम्ब नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 2.5: मांगपत्रों के क्रय आदेशों में परिवर्तन में विलम्ब

अवधि जिसके अन्दर मांगपत्र, क्रय आदेशों में परिवर्तित किए गए थे	क्रय आदेशों में परिवर्तित मांगपत्र						क्रय आदेशों में परिवर्तित मांग पत्रों की प्रतिशतता
	एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना)	एम.ओ (एम बी)	एम.ओ (वी)	एम.ओ (के)	एम.ओ (के डब्ल्यू)	कुल	
23 सप्ताह के अन्दर	17	1,145	2,054	423	1,112	4,751	39.97
24 सप्ताह से लेकर तीन वर्षों से अधिक	69	2,582	2,596	949	939	7,135	60.03
योग	86	3,727	4,650	1,372	2,051	11,886	

स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि 23 सप्ताह की निर्धारित समय सीमा के पश्चात् 60.03 प्रतिशत मांगपत्र क्रय आदेशों में परिवर्तित किए गए थे जो यह दर्शाता है कि अधिप्राप्ति तंत्र में विसंगति के कारण निश्चित उद्देश्यों के लिए बनाए गए मांगपत्र, अभिप्रेत उद्देश्य को पूरा नहीं कर सके। लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में एम.ओ (एम बी)/एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने विलम्ब स्वीकार किए और कहा (अक्टूबर 2015/आगस्त 2016) कि 23 सप्ताह में वास्तविक परिपक्वता 42.19 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने विलम्ब के लिए, मांग पत्रों का रद्द होना, रूसी फर्मों से अधिप्राप्ति में कठिनाई, अति मूल्यवृद्धि, मालिकाना वस्तु प्रमाणपत्र (पी.ए.सी) की समाप्ति आदि कारण बताए और कहा कि डी.पी.एम में प्रदत्त समय सीमा का पालन व्यवहार्य नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारतीय नौसेना द्वारा परिकल्पित स्थिति अगस्त 2016 की है जबकि लेखापरीक्षा द्वारा परिकल्पित स्थिति मार्च 2016 की है। तथ्य यह है कि अधिप्राप्ति क्रियाकलापों के लिए समय-सीमा डी.पी.एम में निर्धारित की गई है तथा इसलिए है तथा विश्वसनीय निर्धारित समय-सीमा का पालन करने में भारतीय नौसेना की अक्षमता, मांग के समय पर पूरा होने पर प्रतिकूल प्रभाव की सूचक है।

2.4.3 नौसैनिक भण्डार की सामान्य प्रयोग वाली मदों की अधिप्राप्ति

रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी) ने अपने ए.टी.एन (अप्रैल 2006) में कहा था कि ओ.टी.ई सामान्य विनिर्देशनों वाली आम प्रयोग की मदों²⁶ के लिए प्रगामी रूप से अपनाई जा रही थी। लेखापरीक्षा ने देखा (नवम्बर 2016) कि एम.ओ.डी द्वारा आम प्रयोग की मदों की अधिप्राप्ति के लिए 497 मामलों में से, केवल 11 मामले ओ.टी.ई के अन्तर्गत तथा 189 मामले आर.सी के अन्तर्गत प्रसंस्कृत किए गए थे। इससे यह पता चलता है कि ओ.टी.ई तथा आर.सी आधार पर की गई आम मदों की खरीद की मात्रा केवल 40.24 प्रतिशत थी जो यह दर्शाता है कि ए.टी.एन में किया गया आश्वासन कार्यान्वित नहीं किया गया था।

2.4.4 अप्रचलित मदों²⁷ की अधिप्राप्ति

एक उपकरण/भण्डार जिसके लिए सेवा से उसकी वापसी हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, अप्रचलित मदें कही जाती हैं जबकि उपकरण/भण्डार जिसके लिए और कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा परंतु मौजूदा भंडार, यदि कोई हो, के समाप्त होने तक प्रयोग किया जाएगा, अप्रचलन के

²⁶ आम प्रयोग वाली मदों के उदाहरण - साबुन (प्रसाधन/लॉण्ड्री), वार्निश पेन्ट, सोडा एश, विभिन्न प्रकार के पेन्ट, पॉलिथिन बैग, कम्प्यूटर पेपर, ब्लिचिंग पाउडर, तेजाब, नेप्थेलीन बॉल्स, स्क्रबिंग ब्रश, कॉटन रैग आदि।

²⁷ अप्रचलित- एक उपकरण/भण्डार जिसके लिए सेवा से उसे हटाने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

रूप में माने जाते हैं। अप्रचलित/अप्रचलन²⁸ होने वाली नौसैनिक इन्वेंट्री का अनुमान तथा समुचित प्रतिक्रिया सामग्री योजनाकारों का मुख्य उत्तरदायित्व है ताकि अप्रचलित/अप्रचलन भंडार को न्यूनतम रखा जाए। अप्रचलित/अप्रचलन उपकरण आई.एल.एम.एस में समुचित रूप से चिन्हित किए जाने चाहिए ताकि और कोई समीक्षा न की जाए तथा समस्त अधिप्राप्ति क्रियाकलाप बन्द कर दिए जाएं।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2016) कि:

1. एक मद कनवर्टर वर्ष 1999 में अप्रचलित घोषित की गई थी। कनवर्टर के लिए एम.ओ (वी) द्वारा एक आयात मांगपत्र जून 2008 में बनाया गया था। चार कनवर्टरों की अधिप्राप्ति हेतु \$66,244.50 (₹1.19 करोड़) की लागत पर मैसर्स एस.एम.ई, रूस के साथ सी.पी.आर.ओ (वी) द्वारा एक अनुबन्ध किया गया था (मई 2010), जो अक्टूबर 2016 को भंडार में रखे थे।
2. जून 2008 में एम.ओ (वी) द्वारा बनाए गए एक मांगपत्र में तीन मदें शामिल थी अर्थात् मोटर एच.पी पम्प के लिए बुश का एक सैट, बॉल बियरिंग तथा वी रिंग, जो बाद में जून 2009 तथा जनवरी 2010 के बीच अप्रचलित घोषित कर दिए गए थे। तथापि, ₹75.49 लाख की कुल लागत पर एमओ (वी) द्वारा अप्रैल 2010 में क्रय आदेश दिया गया था। ये मदें बिना किसी प्रयोग के भंडार में पड़ी थी (नवम्बर 2016)।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 2010-11 से 2015-16 के दौरान 1463 मदें उनके अप्रचलित घोषित होने के बाद ₹46.92 करोड़ की लागत पर खरीदी गई थी जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

तालिका 2.6 अप्रचलित मदों की अधिप्राप्ति के ब्यौरे

एम.ओ/एकीकृत मुख्यालय	मदों की संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)
एकीकृत मुख्यालय	539	19.94
एम.ओ (एम बी)	260	7.56
एम.ओ (वी)	354	12.65
एम.ओ (के)	167	4.95
एम.ओ (के डब्ल्यू)	143	1.82
योग	1,463	46.92

स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

²⁸ अप्रचलन- एक उपकरण/भण्डार जिसके लिए और कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा परन्तु मौजूदा भंडार, यदि कोई हो, समाप्त होने तक प्रयोग किया जाएगा।

उपरोक्त अधिप्राप्ति, निर्णय लेते समय सामग्री योजनाकारों से समुचित श्रम के अभाव की सूचक है प्रत्युत्तर में, भारतीय नौसेना ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण स्वीकार किया कि आई.एल.एम.एस संस्करण 2.0²⁹ में उपरोक्त स्थिति को न्यूनतम करने के लिए समुचित प्रावधान/ उपचार किए जाएंगे।

2.4.5 विक्रेता प्रबंधन

पर्याप्त विक्रेता डॉटाबेस विकसित करना उसकी विशेषता के कारण इनवेंट्री की अधिप्राप्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। लेखापरीक्षा ने अपने पिछले प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि विक्रेता आधार का सुधार किया जाना चाहिए तथा विक्रेताओं के साथ इनवेंट्री में सभी मर्दे लिंक करने के लिए एक समयबद्ध योजना लागू की जानी चाहिए। यद्यपि नौसेना इस बात से सहमत हो गई थी कि प्रणाली मज़बूत की जानी चाहिए, तथापि, मंत्रालय के ए.टी.एन (अप्रैल 2006) में इस विषय पर कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

एम ओज़ तथा एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा अनुरक्षित विक्रेता डॉटाबेस तथा विक्रेताओं का वर्ष-वार पंजीकरण (दिसम्बर 2015) का विश्लेषण नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 2.7 विक्रेता पंजीकरण के ब्यौरे

वर्ष	पंजीकृत विक्रेता का मूल		योग	एम.ओ-वार विक्रेता पंजीकरण आंकड़े				
	स्वदेशी	विदेशी		एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना)	एम.ओ (एम बी)	एम.ओ (वी)	एम.ओ (के)	एम.ओ (के डब्ल्यू)
2009	323	28	351	0	331	0	1	19
2010	308	18	326	0	322	0	0	4
2011	183	69	252	0	252	0	0	0
2012	159	22	181	0	181	0	0	0
2013	98	29	127	1	126	0	0	0
2014	120	6	126	0	126	0	0	0
2015	59	1	60	0	60	0	0	0

स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

²⁹ एकीकृत सम्भारिकी प्रबंधन तंत्र (आई.एल.एम.एस) जो वर्तमान में नौसेना द्वारा प्रयोग की जा रही है संस्करण-2.0 है। भारतीय नौसेना कुल परिसम्पत्ति दृश्यता पर लाने के लिए सभी भागीदारों जैसे नौसैनिक गोदीबाड़ा, पोतों, डब्ल्यू.ओ.टीज़ आदि को एक ही प्लेटफार्म पर लाने के लिए उसे आई.एल.एम.एस संस्करण-2.0 में अपग्रेड करने की योजना बना रही है।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि विक्रेता पंजीकरण की प्रक्रिया घटती हुई प्रवृत्ति दर्शाती है जो इस बात की सूचक है कि विक्रेता डॉटाबेस को व्यापक करने की प्रक्रिया धीमी है। इसके कारण पात्र विक्रेताओं को ढूँढने तथा मांगपत्रों को निविदाओं में परिवर्तित करने में विलम्ब हो सकता है क्योंकि विक्रेताओं की पहचान तदर्थ विधियों के माध्यम से की जानी थी। चार एम.ओज़ के बीच 2009 से किया गया 99 प्रतिशत से अधिक विक्रेता पंजीकरण एम.ओ (एमबी) द्वारा किया गया है। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि आई.एल.एम.एस में विद्यमान 17,524 विक्रेताओं में से, 13,575 विक्रेतावर्ष 2000 से पूर्व अनुमोदित किए गए थे तथा 10,061 विक्रेता श्रेणी 'एफ' के रूप में, 56 विक्रेता श्रेणी 'एम' के रूप में, 5,990 विक्रेता श्रेणी 'ई' के रूप में, 1,303 विक्रेता श्रेणी 'डी' के रूप में, 11 विक्रेता श्रेणी 'बी' के रूप में तथा 56 विक्रेता श्रेणी 'ए' के रूप में वर्गीकृत³⁰ किए गए थे। अतः एम. ओज़ के पास व्यापार श्रेणी में केवल 7,463 विक्रेता उपलब्ध थे, जिनमें से कई विक्रेताओं का भारतीय नौसेना में बहुविध पंजीकरण था।

उत्तर में नौसेना ने कहा (फरवरी 2016) कि आई.एल.एम.एस एकल सर्वर में माईग्रेशन से पूर्व प्रत्येक एम.ओ का अपना विक्रेता डॉटाबेस था। भारतीय नौसेना ने यह भी कहा (फरवरी 2016) कि अब आई.एल.एम.एस के पास स्थानीय क्षेत्र की पहचान के लिए बहुविध पते के विकल्प सहित विशिष्ट विक्रेता कोड आबंटित करने का विकल्प नहीं था तथा लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया मामला आई.एल.एम.एस सस्करण-2.0 के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु नोट कर लिया गया था।

अतः विक्रेता प्रबंधन तंत्र ने एक ही विक्रेता को उसे भिन्न-भिन्न अधिप्राप्ति एजेंसियों अर्थात् एम.ओज़ तथा एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के पास पंजीकृत कराने की अनुमति दे दी जिसके परिणामस्वरूप एक ही विक्रेता बहुविध विक्रेता कोडों के अन्तर्गत विक्रेता डॉटाबेस में मौजूद था। इसके अतिरिक्त, भिन्न-भिन्न पतों के बावजूद एकल विक्रेता कोड का आबंटन न किए जाने से संबंधित त्रुटि आई.एल.एम.एस एकल सर्वर में आई.एल.एम.एस के रूपांतरण के बाद भी मौजूद है (मार्च 2017)।

2.5 मांग अनुपालन

मांग अनुपालन का अर्थ मांग की उस प्रतिशतता से है जिसके प्रति निर्गम उसी वर्ष के अन्दर किए जा सकते हैं। पोटों, स्थापनाओं, मरम्मत एजेंसियों तथा अन्य नौसैनिक संघटनों द्वारा की

³⁰ विक्रेता की श्रेणी - श्रेणी 'एफ'- अनुपयुक्त विक्रेता, श्रेणी 'एम'- विनिर्माता, श्रेणी 'ई'- नए ट्रेडर, श्रेणी 'डी'-नए ओ.ई.एम/ वितरक, श्रेणी 'बी'- ओ.ई.एम/ वितरक तथा श्रेणी 'ए'- ओ.ई.एम/वितरक स्व-प्रमाणित ओके।

गई मांग की भण्डार के निर्गम से पूर्व जांच की जाती है। तत्पश्चात्, निर्गम हेतु भण्डार, सी.एम.पी द्वारा प्राधिकृत होते हैं।

मांग को मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:


- 1) प्रयोक्ता द्वारा उठाई गई मांग: ये प्रयोक्ता यूनितों द्वारा निम्नलिखित रूप में की जाती है:
 - सामान्य मांग-प्रयोक्ता के लिए निर्धारित अनुदानों के प्रति आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है।
 - अत्यावश्यक मांग-सही अत्यावश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है।
 - परिचालनात्मक मांग-पोतों की परिचालनात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है।
 - रीफिट योजना पद्धति (आर.पी.पी) मांग-मरम्मत एजेंसी (नौसैनिक गोदीबाड़ा) द्वारा रीफिट के दौरान क्रियाशील किए जाने के लिए, रीफिट के शुरू होने के पूर्व मध्यम रीफिट (एम.आर)/ सामान्य रीफिट (एन.आर) तथा लघु रीफिट (एस.आर) के लिए क्रमशः 58 सप्ताह तथा 30 सप्ताह के अंदर की जाती है।
- 2) कार्यालय में की गई (आर.आई.ओ) मांग- परिचालन टर्न अराउंड, स्वचालित पुनः पूर्ति, प्रारंभिक निर्गम तथा अंतर डिपो अंतरण (आई.डी.टी) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एम.ओज द्वारा यह मांग की जाती है।

लेखापरीक्षा ने अपने पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2002) में सिफारिश की थी कि मांग पूर्ति के मानक स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाने चाहिए। जिस समय के अंदर मांग की पूर्ति की जानी चाहिए उसे भी एक संकेतक की तरह निर्धारित किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने अपने ए.टी.एन (अप्रैल 2006) में कहा था कि मांग पूर्ति के लिए मानक तय करना व्यावहारिक नहीं था, तथापि उपलब्ध भण्डार/अतिरिक्त पुर्जों के लिए विशिष्ट अवधि के अंदर मांग अनुपालन निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने मांग अनुपालन की विभिन्न प्रक्रियाओं में लिए गए समय का आकलन किया जिसकी चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

2.5.1 मांग की जांच तथा निर्गम का अनुमोदन जारी करने में लिया गया समय

सामग्री योजना नियम पुस्तिका, 1995 के अनुसार, मांग की जांच सी.एम.पी द्वारा टिप्पणियों सहित, प्राप्ति के पांच दिन के अंदर जांच की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने मांग की जांच हेतु, लिए गए समय का विश्लेषण किया (अक्टूबर 2015) जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :


चित्र 2.10: 2011 से 2015 की अवधि के दौरान मांग की जांच



स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि एम.ओज़ द्वारा केवल 7.65 से 10.13 प्रतिशत मांग की निर्धारित समय सीमा के अंदर जांच की गई थी जो सी.एम.पी द्वारा जांच में धीमी प्रगति का सूचक है। चूंकि समय सीमा के लिए ऐसे कोई प्रतिमान निर्धारित नहीं किए गए हैं जिसके अंदर अनुमोदन जारी किया जाना चाहिए अथवा मद सुपुर्द की जानी चाहिए, अतः लेखापरीक्षा इस प्रक्रिया में विलंब के आंकड़ें नहीं बता सका। तथापि, लेखापरीक्षा ने सी.एम.पी द्वारा अनुमोदन जारी करने हेतु, लिए गए समय का विश्लेषण किया (अगस्त 2016) जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:

चित्र 2.11: 31 मार्च 2016 को निर्गम के अनुमोदन की स्थिति



स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा


उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि 21.73 प्रतिशत निर्गम 15 दिन के बाद अनुमोदित किए गए थे।

2.5.2 समग्र मांग अनुपालन

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2002) ने बताया था कि सभी एम.ओज़ में औसत मांग पूर्ति 60 प्रतिशत थी। ए.टी.एन (2006) में इस विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

एम.ओज़ में 2010-11 से 2015-16 के दौरान मांग अनुपालन की लेखापरीक्षा जांच (अगस्त 2016) के परिणाम दिए गए हैं:


चित्र 2.12: 31 मार्च 2016 को समग्र मांग अनुपालन



स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि एम.ओज़ पर मांग अनुपालन औसतन 70 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा ने इसके अलावा भण्डार की विभिन्न श्रेणियों के संदर्भ में मांग पूर्ति का विश्लेषण किया जैसा कि नीचे दिया गया है:

चित्र 2.13: 31 मार्च 2016 को श्रेणी-वार मांग अनुपालन



स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि उपकरण एवं अतिरिक्त पुर्जों (ई एंड एस.पी), जो एक महत्वपूर्ण कारक³¹ है, के संबंध में मांग अनुपालन निरपवाद रूप से गैर रूसी भण्डारों के लिए 53.63 से 69.35 प्रतिशत तथा रूसी भण्डारों के मामले में 48.39 से 96.01 प्रतिशत के बीच था। इससे पोतों/पनडुब्बियों की उपलब्धता प्रभावित होती है, जिसके कारण अंततः भारतीय नौसेना की परिचालन तैयारी पर प्रभाव पड़ता है।

2.5.3 रीफिट पूर्वानुमान अनुपालन

पूर्वानुमान सूची (एफ.सी.एल)³² मांग पूर्ति, एफ.सी.एल में रीफिटिंग बाड़ों द्वारा की गई अतिरिक्त पुर्जों की मांग के प्रत्युत्तर में एम.ओज़ द्वारा आपूर्त अतिरिक्त पुर्जों की मात्रा को सूचित करती है। यह अतिरिक्त पुर्जें अधिप्राप्त करने वाली एजेंसी के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है तथा समस्त रीफिट्स को समय पर पूरा करने के लिए अति आवश्यक है। अतिरिक्त पुर्जों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रीफिट योजना कार्यक्रम (आर.पी.पी) में यह प्रावधान है कि रीफिटिंग बाड़े, एम.ओज़ को एम.आर/एन.आर तथा एस.आर³³ से क्रमशः 58 सप्ताह तथा 30 सप्ताह पूर्व मानक कार्य पैकेज के आधार पर निर्धारित अतिरिक्त पुर्जों की मानक पूर्वानुमान सूची (एफ.सी.एल) भेजेंगे। एम.आर/एन.आर के मामले में, एम.ओज़ को मर्दों की आपूर्ति की प्रत्याशित तिथि (ई.डी.एस) के संबंध में बाड़ों को सूचना देनी होती है तथा उन मर्दों की सूची भी देनी होती है जो गोदीबाड़ा शुरू होने की तिथि (डी.एस.डी)³⁴ से 20 सप्ताह पूर्व उपलब्ध होने की संभावना नहीं होती। उसके पश्चात रीफिटिंग बाड़े एम.ओज़ को 18 सप्ताह पूर्व निश्चित मांग भेजते हैं। इसी प्रकार, रूटीन प्रकार की त्रुटियों के अलावा अन्य त्रुटियों के लिए पश्च शुद्धिकरण मांग (पी.डी.डी.ज़)³⁵, की सूची एम.आर/एन.आर तथा एस.आर के प्रारम्भ से क्रमशः 13 सप्ताह तथा आठ सप्ताह पहले एम.ओज़ को भेजी जाती है। मांगे गए पुर्जें जोकि उपलब्ध थे तथा जारी किए गए, का वैध पूर्वानुमान अनुपालन सूची (एफ.सी.एल) मांग के साथ अनुपात वह आधार होता है जिस पर एम.ओज़ द्वारा एफ.सी.एल मांगों के अनुपालन की प्रतिशतता की गणना की जाती है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2002) ने उजागर किया था कि 1997 से 2000 के दौरान नौसैनिक गोदीबाड़ा, मुम्बई में रीफिट किए गए पोतों के लिए समग्र अनुपालन 44 तथा 51 प्रतिशत के

³¹ इ एण्ड एस.पी अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उसकी अनुपलब्धता नौसैनिक भण्डारों की तुलना में पोतों की परिचालनात्मक क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं।

³² पूर्वानुमान सूची (एफ.सी.एल)- इसमें नौसैनिक गोदीबाड़ों द्वारा अनुमोदित पूर्वानुमान आधार पर पोतों की रीफिट के लिए आवश्यक अतिरिक्त पुर्जें शामिल हैं।


³³ एम.आर-मध्यम रीफिट, एन.आर-सामान्य रीफिट, एस.आर-लघु रीफिट

³⁴ डी.एस.डी (गोदीबाड़ा प्रारम्भ होने की तिथि)- वह तिथि जो रीफिट के शुरू होने को दर्शाती है

³⁵ पश्च शुद्धिकरण मांग- रीफिट के लिए अपेक्षित पुरजे जिनकी आवश्यकता केवल उपकरण/प्रणाली के खुलने के बाद ही स्पष्ट होती है।

बीच होने के साथ उपकरण तथा अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति के लिए अनुपालन दर अत्यंत कम थी। मंत्रालय के ए.टी.एन (अप्रैल 2006) में इस विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा (जुलाई 2016) कि नौसैनिक गोदीबाड़ा (एन.डी), मुम्बई में शुरू किये गये चुनिंदा पोतों के रीफिट पूर्वामान अनुपालन की प्रतिशतता 2010-11 से 2014-15³⁶ के दौरान निम्न प्रकार से थी।

चित्र 2.14: रीफिट एफ.सी.एल अनुपालन



स्रोत: नौसैनिक गोदीबाड़ा, (एमबी) द्वारा प्रदान किए गए आई.एल.एम.एस डॉटा

उपर्युक्त चित्र 2.14 से पता चलता है कि 20 पोतों की रीफिट के संबंध में एफ.सी.एल अनुपालन की प्रतिशतता 60 प्रतिशत से कम थी। चार नौसैनिक पोतों के मामले में लेखापरीक्षा ने देखा कि रीफिट पूर्वानुमान अनुपालन लगभग 20 प्रतिशत था। कम अनुपालन का रीफिट्स/रूटीन्स के समापन पर असर पड़ता है जिससे पोतों/पनडुब्बियों की परिचालन उपलब्धता तथा भारतीय नौसेना की रक्षा तैयारी प्रभावित होती है।


प्रत्युत्तर में भारतीय नौसेना {एम.ओ (एम बी)} ने कहा (सितम्बर 2016) कि 'मांगे गए अतिरिक्त पुर्जों', जो जारी किए गए थे तथा उपलब्ध थे का 'रदद न की गई वैध एफ.सी.एल मांग की कुल संख्या' के साथ अनुपात वह आधार है जिस पर एफसीएल मांग के अनुपालन की प्रतिशतता की गणना की जाती है तथा वह 71 तथा 97 प्रतिशत के बीच थी। भारतीय नौसेना का दावा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वह दस्तावेज़ी साक्ष्य के साथ समर्थित नहीं था।

³⁶ विस्तृत लेखापरीक्षा, के लिए 20 पोतों की रीफिट को चुना गया था 2015-16 को हिसाब में नहीं लिया गया था क्योंकि रीफिट के शुरू होने तथा पूरा होने से पूर्व उस पर टिप्पणी करना असामयिक होगा।

2.6 इनवेंट्री धारिता

भारतीय नौसेना में इनवेंट्री को धारित इनवेंट्री³⁷ के मूल्य, मात्रा अथवा भार के किसी संदर्भ के बिना मदों की संख्या के रूप में लेखाबद्ध की जाती है। मार्च 2016 को एम.ओज़ में चल तथा अचल मदों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है।

चित्र 2.15: 31 मार्च 2016 को एम.ओज़ में इनवेंट्री धारिता



स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

2.6.1 चल तथा अचल इनवेंट्री का विश्लेषण

इनवेंट्री चल³⁸ (जिसमें तेजी से तथा धीमी चलने वाली मदें शामिल हैं) तथा अचल इनवेंट्री³⁹ के रूप में श्रेणीबद्ध की जाती है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2002) में बड़ी संख्या में अचल इनवेंट्री पर चिन्ता व्यक्त की गई थी जो उस समय 65 प्रतिशत से अधिक थी, और सिफारिश की थी कि उसकी कटौती 'उच्च केंद्र बिन्दु क्षेत्र होना चाहिए'। मंत्रालय ने अपने ए.टी.एन (अप्रैल 2006) में कहा था कि अधिशेष भंडार का पृथक्करण निरन्तर किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा ने देखा (अक्टूबर 2015/अगस्त 2016) कि समूचे एम.ओज़ में अचल इनवेंट्री 72.86 से 93.87 प्रतिशत (नौसैनिक भण्डार), 54 से 93 प्रतिशत (ई एण्ड एस.पी गैर रूसी) तथा 74.5 से 98.29 प्रतिशत (रूसी) अलग-अलग थी जैसा कि निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:


³⁷ ऊपर लिखित इनवेंट्री डॉटा, यद्यपि मदों की संख्या में बताया गया था, तथापि वे वास्तव में निम्नलिखित कारणों से बही पृष्ठों की संख्या (आई.एल.एम.एस में मद तालिका में अभिलेखों की संख्या) थे:

- बड़ी संख्या में मदों का कोई भंडार नहीं है, तथा उनमें लम्बी अवधियों से कोई लेनदेन भी नहीं हुआ, अतः वे नोशनल हैं,
- इनवेंट्री में दर्शाई गई बहुत सी मदें सेवा से बाहर किए जा चुके पोतों/विमानों से संबंधित हैं परन्तु वे पृथक्करण तथा निपटान की कारवाई हेतु प्रतिक्षित हैं,
- मरम्मत/स्क्रेप के रूप में डिपो को वापिस भेजी गई बहुत सी मदें आगे की किसी कारवाई के बिना पडी हैं।

³⁸ तेजी से चलने वाली मदों का अर्थ है, पिछले दो वर्षों के अन्दर भण्डार का संचलन; तथा धीमी चलने वाली मदों का अर्थ है विगत 2 से 5 वर्षों के अन्दर भण्डार का संचलन।

³⁹ अचल मदों का अर्थ है जिनका विगत पांच वर्षों के अन्दर संचलन न हुआ हो।

चित्र: 2.16: 31 मार्च 2016 को एम.ओज़ में अचल इन्वेंट्री



स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आईएलएमएस डॉटा

लेखापरीक्षा टिप्पणी (अगस्त 2016) पर नौसेना का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2017)।

इस प्रकार, अचल इन्वेंट्री की प्रतिशतता का स्तर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2002) में देखी गई उसकी धारिता की तुलना में बढ़ा है। यह अधिशेष अधिप्राप्ति का सूचक है जिससे भण्डारण स्थान अवरूद्ध होता है तथा खराब इन्वेंट्री प्रबंधन होता है।

2.6.2 अधिशेष प्रयोज्य भण्डार (एस.एस.एस)⁴⁰

भारतीय नौसेना में आज प्रयोज्य अधिशेष भण्डार (एस.एस.एस) बड़ी संख्या में संचित है जो मूलतः विगत वर्षों में अपर्याप्त निपटान दर के कारण है। प्रयोज्य भण्डार अधिशेष (एस.एस.एस) बीमा भंडार⁴¹ तथा युद्ध सेवा में युद्ध रिज़र्व⁴² अनुरक्षित करने की आवश्यकता तथा पर्याप्त रूप से पहले से उनके अप्रचलन का पूर्वानुमान लगाने में अक्षमता के कारण अपरिहार्य है। भण्डार, अधिक शुरुआती प्रावधानीकरण, प्रायोक्ता-संकलित सूचियों में अधिक अनुमानों, वार्षिक उपभोग

⁴⁰ प्रयोज्य अधिशेष भण्डार (एस.एस.एस)- ये प्रयोज्य स्थिति में वो सामग्री है जिनकी भारतीय नौसेना में कोई पूर्वानुमानित आवश्यकता नहीं है। यदि किसी मद का अभी भी प्रयोग किया जा रहा है तो उसकी वह मात्रा जो नौसेना में उसके निर्धारित जीवनकाल में प्रयोग नहीं की जा सकती अथवा गैर निर्धारित जीवनकाल तथा गैर बीमा मद के मामले में, अगले सात वर्ष के अन्दर प्रयोग नहीं की जा सकती, अधिशेष मानी जाए।

⁴¹ बीमा भंडार- ये बेस तथा डिपो अतिरिक्त पुर्जों के भाग के रूप में सेवा में आने के पहले पांच वर्षों के दौरान पोत के अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए अपेक्षित भंडार है बीमा अतिरिक्त पुर्जे, बी एण्ड डी पुर्जों के रूप में अधिप्राप्त करने होते हैं।

⁴² युद्ध रिज़र्व- ये मरम्मत सामग्री का भंडार है जिसे संचालनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक एम.ओ को रखने चाहिए। ये एम.एस.एल के अतिरिक्त रखने होते हैं।

स्तर (ए.सी.एल) की गलत गणना, बहुविध लेखाकरण एवं भंडारण तथा त्रुटिपूर्ण प्रावधानीकरण फॉर्मूला के प्रयोग के कारण अधिशेष हो जाते हैं।

एम.पी.एम में प्रावधान है कि एक मद का भंडार मद की श्रेणी तथा उसकी ए.सी.एल के अनुसार, न्यूनतम भंडार स्तर (एम.एस.एल) तथा ऊपरी भंडार स्तर (यू.एस.एल) के बीच में होना चाहिए। एम.ओज़ में मदों के भंडार स्तर के विश्लेषण से पता चला कि एम.पी.एम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था तथा चल मदों की एक बड़ी संख्या यू.एस.एल से अधिक तथा एम.एस.एल से कम थी जिसकी चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

2.6.2.1 अधिशेष के रूप में इनवेंट्री

सामग्री योजना नियमपुस्तिका-1995 में कम इनवेंट्रीज़ अनुरक्षित करने के माध्यम से सामग्री प्रबंधन में बचत का प्रावधान है क्योंकि प्रतिवर्ष 16 प्रतिशत पर धन की लागत तथा 8 प्रतिशत पर स्फीति की गणना के साथ ₹1,000 करोड़ मूल्य की इनवेंट्री की निवल वार्षिक वहन लागत ₹80 करोड़ है।

लेखापरीक्षा ने देखा (अक्तूबर 2015/अगस्त 2016) कि, एम.ओज़ में यू.एस.एल से अधिक मात्रा में बड़ी संख्या में मदें संचित हो गई थी जो ₹7,359.37 करोड़ मूल्य का प्रयोज्य अधिशेष भण्डार बना रही थी जैसा कि नीचे तालिका 2.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.8: 31 मार्च 2016 को यू.एस.एल से अधिक कुल इनवेंट्री⁴³

भंडार रखने वाले प्राधिकारी का नाम	धारित भंडार इनवेंट्री (प्रकार के अनुसार)	सकारात्मक भंडार शेष वाली प्रयोज्य मदों की संख्या	कॉलम 3 में से यू.एस.एल से अधिक मदों की कुल संख्या	यू.एस.एल से अधिक रखी गई मात्रा की लागत (₹ करोड़ में)	यू.एस.एल से अधिक मदों की प्रतिशतता (कॉलम 3 के संदर्भ में कॉलम 4 की प्रतिशतता)
1	2	3	4	5	6
एम.ओ. (एम बी)	4,77,899	2,74,446	2,51,755	3,925.21	91.73
एम.ओ. (वी)	3,42,992	2,09,464	1,85,299	2,886.59	88.46
एम.ओ. (के)	77,316	47,846	42,984	216.86	89.84
एम.ओ (के डब्ल्यू)	47,073	28,653	23,001	330.71	80.27
योग				7,359.37	

स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

⁴³ इसमें चल तथा अचल दोनों इनवेंट्री शामिल हैं।

₹7359.37 करोड़ मूल्य की यू.एस.एल से अधिक इनवेंट्री के लिए, इनवेंट्री वहन लागत ₹588.75 करोड़ प्रति वर्ष बनती है। उपर्युक्त में से, ₹2,100.7 करोड़ मूल्य की चल इनवेंट्री निर्धारित यू.एस.एल से अधिक रखी गई थी जैसा कि नीचे तालिका 2.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.9: यू.एस.एल से अधिक चल इनवेंट्री

क्र सं	एम.ओ का नाम	कुल इनवेंट्री (प्रकार के अनुसार मद की सं.)	कुल चल इनवेंट्री	यू.एस.एल से अधिक चल इनवेंट्री	कुल चल इनवेंट्री के संबंध में यू.एस.एल से अधिक चल इनवेंट्री की प्रतिशतता	यू.एस.एल से अधिक चल इनवेंट्री की लागत (₹ करोड़ में)
1	एम.ओ (एम बी)	4,77,899	93,135	26,762	28.74	1,006.08
2	एम.ओ (वी)	3,42,992	93,814	26,952	28.73	973.63
3	एम.ओ (के)	77,316	20,909	6,885	32.93	61.12
4	एम.ओ (के डब्लू)	47,073	24,584	5,904	24.02	59.87
योग						2,100.70

स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

एक बड़ी इनवेंट्री के लिए अधिक संग्रह स्थान, अधिक कर्मचारी, अधिक परिवहन तथा संचालन लागत की आवश्यकता होती है साथ ही रखे हुए भंडार के विकृत होने तथा अप्रचलित होने का उच्च जोखिम होता है। इससे इनवेंट्री के प्रबंध में कोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

एम.ओज में यू.एस.एल से अधिक रखी गई मदों के विश्लेषण से पता चला कि चालू ए.सी.एल पर, मौजूदा भंडार 100 वर्ष से अधिक की अवधि तक उपयोग होगा जैसा कि नीचे दी गई तालिका 2.10 में दर्शाया गया है :

तालिका 2.10: 31 मार्च 2016 को यू.एस.एल से अधिक इनवेंट्री का उपयोग

कितने वर्ष चलेगी	एम.ओ (एम बी) पर मदों की सं	कुल लागत (₹ करोड़ में)	एम.ओ (वी) पर मदों की सं	कुल लागत (₹ करोड़ में)	एम.ओ (के) पर मदों की सं	कुल लागत (₹ करोड़ में)	एम.ओ (के डब्लू) पर मदों की सं	कुल लागत (₹ करोड़ में)
100 वर्षों से अधिक	2,641	147.2	1,631	363.61	258	5.68	164	4.60
50 से 100 वर्ष	2,347	90.16	1,902	62.37	407	4.35	191	7.05
5 से 50 वर्ष	14,641	491.36	14,502	404.2	3,891	37.91	2,819	32.67
5 वर्ष तक	8,617	110.72	10,635	143.45	3,017	15.26	2,761	15.55
योग	28,246	839.44	28,670	973.63	7,573	63.2	5,935	59.87

स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

निकट भविष्य में बिना किसी संभावित उपयोग के बड़ी इन्वेंट्री की धारिता के कारण इन्वेंट्री वहन लागत⁴⁴ की देयता के अतिरिक्त एम.ओ.ज के पास भंडारण स्थान का दबाव हो सकता है। एम.ओ (बी) ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार किए (जनवरी 2016) और कहा कि ₹3,003 करोड़ मूल्य की 1.75 लाख मर्दे यू.एस.एल से अधिक थीं तथा बी एवं डी अतिरिक्त पुर्जों के रूप में लेखाबद्ध की गई हैं। एम.ओ (एम बी) ने कहा (अगस्त 2016) कि संचित इन्वेंट्री में पोतों के लिए प्राप्त बी एवं डी अतिरिक्त पुर्जें भी शामिल थे (सम्मिलित पोतों को जो सेवामुक्त किये गये थे या अन्य कमानों को हस्तांतरित कर दिए गए थे) तथा यू.एस.एल से अधिक ₹5,526 करोड़ मूल्य की 2,35,149 मर्दों के उपलब्ध भंडार होने की पुष्टि की जिनमें से ₹3,364 करोड़ मूल्य की 1,79,363 मर्दे बी एवं डी अतिरिक्त पुर्जे थे।

एम.ओ (एम बी) ने यह भी कहा कि पुराने हो चुके उपकरण के लिए अधिक पुर्जों की अधिप्राप्ति, पोतों के आधार पत्तन में परिवर्तन, अन्य एम.ओ.ज को अंतरण, बाद में मांग किए गए बिना नौसैनिक गोदीबाड़ों द्वारा प्रक्षेपित मर्दे, उपर्युक्त परिदृश्य का कारण थे।

₹2,100.7 करोड़ मूल्य की चल इन्वेंट्री का संचय प्रारंभिक प्रावधानीकरण के समय भण्डार की रेंजिंग एवं स्केलिंग में परिश्रम के अभाव, अतिरिक्त पुर्जों की प्रयोक्ता संकलित सूची⁴⁵ में अधिक प्रक्षेपण जिसके कारण भंडार यू.एस.एल से अधिक हुआ तथा प्रावधानीकरण प्रणाली में त्रुटि /नौसेना द्वारा इन्वेंट्री स्वचालन में लागू किए गए त्रुटि संभावित पी.पी.क्यू फॉर्मूले की सूचक हैं।

2.6.3 न्यूनतम भंडार स्तर का अनुरक्षण न करना

न्यूनतम भंडार स्तर (एम.एस.एल) वह स्तर है जिसके नीचे किसी मद का भंडार नहीं होने दिया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा (सितंबर/नवंबर 2015) कि चल इन्वेंट्री के भाग से संबन्धित बहुत सारी मर्दों का भंडार स्तर अर्थात् (ए.सी.एल > 0) एम.एस.एल से कम था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

तालिका 2.11: 30 नवम्बर 2015 को एम.एस.एल से नीचे इन्वेंट्री के ब्यौरे

एम.ओ का नाम	कुल इन्वेंट्री (प्रकार के अनुसार मर्दों की संख्या)	कुल चल इन्वेंट्री	एम.एस.एल से नीचे मर्दों की संख्या			
			अत्यावश्यक	अनिवार्य	वांछित	कुल
एम.ओ (एम बी)	4,77,899	93,135	6,098	13,140	12,008	31,246
एम.ओ (बी)	3,42,992	93,814	3,955	9,825	16,981	30,761
एम.ओ (के)	77,316	20,909	1,623	2,149	4,506	8,278
एम.ओ (के डब्लू)	47,073	24,584	2,955	4,923	4,659	12,537

स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

⁴⁴ इन्वेंट्री वहन लागत-यह आपूर्तिकर्ता को दिए गए भुगतान के समय से मद के जारी होने अथवा उसके निपटान होने के समय तक होने वाली वित्तीय लागत है। यह मुख्यतया अवरोधित धन की लागत है।

⁴⁵ प्रयोक्ता संकलित सूची- इसमें नौसैनिक गोदीबाड़ों द्वारा सामग्री संगठनों को प्रक्षेपित रीफिट के अन्तर्गत पोतों के लिए अनिवार्य तथा प्रत्याशित पुर्जों की मांग के पूर्वानुमान शामिल हैं।

एम.एस.एल से कम भंडार की गई मदों का अर्थ है कि आवश्यक सुरक्षा भंडार अनुरक्षित नहीं किया जा रहा तथा भंडार समाप्ति के अवसर अधिक हैं, जो इनवेंट्री प्रबंधन के लिए चिंता का कारण है। तथ्य यह है कि एम.एस.एल का अनुरक्षण न करने से उसका मुख्य उद्देश्य ही पूरा नहीं होता और इसके अतिरिक्त यह इनवेंट्री प्रबंधन के क्रमबद्ध नियंत्रण के अभाव का सूचक है।

2.6.4 अप्रचलित/अप्रचलन⁴⁶ इनवेंट्री की स्थिति

दिशानिर्देशों के अनुसार, अप्रचलित/अप्रचलन भंडार कम से कम रखना होता है तथा उक्त उपकरणों को आई.एल.एम.एस पर समुचित रूप से मुद्रा चिन्हित करना होता है ताकि और कोई समीक्षा न की जाए तथा समस्त अधिप्राप्ति क्रियाकलाप बंद करने होते हैं जिसका उल्लेख इस प्रतिवेदन के पैरा 2.4.4 में किया गया है।

लेखापरीक्षा ने देखा (नवंबर 2016) कि सभी एम.ओज़ द्वारा रखा गया एक बड़ा भंडार अप्रचलित अथवा अप्रचलन स्थिति में था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.12: 31 मार्च 2016 को अप्रचलित/अप्रचलन मदों की धारिता के ब्यौरे

इनवेंट्री के ब्यौरे		सामग्री संगठन का नाम				
		एम.ओ (एम बी)	एम.ओ (वी)	एम.ओ (के)	एम.ओ (के डब्ल्यू)	योग
निवल भंडार सहित कुल प्रयोज्य इनवेंट्री (धारित भंडार+इयूज-इन-इयूज-आउट) > 0	1	2,61,626	1,98,256	44,814	30,525	5,35,221
उपर्युक्त 1 में से, कुल इनवेंट्री जो अप्रचलित अथवा अप्रचलन में है (आई.एन.सी.ए.टी-एन) (सं.)	2	91,447	59,478	7,352	2,877	1,61,154
कुल इनवेंट्री के प्रति आई.एन.सी.ए.टी-एन इनवेंट्री की प्रतिशतता {क्र. सं. (2/1)*100}	3	34.95	30.00	16.41	9.43	30.11
उपर्युक्त दो में से, मदों की संख्या जो अप्रचलित है।	4	10,171	16,501	2,914	686	30,272
कुल इनवेंट्री की तुलना में अप्रचलित इनवेंट्री की प्रतिशतता - {(4/1)*100}	5	3.89	8.32	6.50	2.25	5.66

स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

⁴⁶ अप्रचलित - ये नौसैनिक भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जों की वे मदें हैं जो भारतीय नौसेना में किसी लागत-प्रभावी उद्देश्य के लिए अब इस्तेमाल नहीं हो सकती।

अप्रचलन - नौसैनिक भण्डार अप्रचलन में हो जाते हैं जब उनका कार्य समाप्त हो जाता है अथवा जब वे नई मदों द्वारा बदल दी जाती हैं। अतिरिक्त पुर्जे तथा उपकरण दोनों तब अप्रचलन में हो जाते हैं जब उस उपकरण को हटाने का निर्णय लिया जाता है जिसके लिए और कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा परन्तु मौजूदा भंडार यदि कोई हो, तब तक इस्तेमाल किया जाएगा जब तक वह समाप्त नहीं हो जाता।

तालिका 2.12 से यह स्पष्ट है कि सभी एम.ओज़ में भंडार में पड़ी हुई अप्रचलित/अप्रचलन मदों की प्रतिशतता कुल इनवेंट्री का लगभग 30 प्रतिशत थी। इसमें से, 5.60 प्रतिशत अप्रचलित हैं जिन्होंने इनकी उपयोगिता मूल्य नगण्य होने के बावजूद दुर्लभ स्थान घेरा हुआ है। भारतीय नौसेना ने यह दावा स्वीकार किया तथा उपर्युक्त परिदृश्य को न्यूनतम करने के लिए समुचित प्रावधान/उपचार अपनाने के लिए सहमति व्यक्त की।

2.6.5 निर्धारित जीवनकाल समाप्त मदों की धारिता

सामग्री योजना नियमपुस्तिका में निर्धारित जीवनकाल समाप्त मदों से बचने का प्रावधान है। लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2016) कि जून 2016 को एम.ओज़ के पास निर्धारित जीवनकाल समाप्त मदें पड़ी हुई थीं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

तालिका 2.13: 30 जून 2016 को निर्धारित जीवनकाल समाप्त मदों की स्थिति

एम.ओ का नाम	शेल्फ-लाइफ समाप्त मदों की सं. (प्रकार के अनुसार)	शेल्फ-लाइफ समाप्त मदों की लागत (₹ करोड़ में)
एम.ओ (एम बी)	391	3.70
एम.ओ (वी)	95	3.75
एम.ओ (के)	891	7.83
एम.ओ (के डब्ल्यू)	114	1.49
योग	1,491	16.77

स्रोत: एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा प्रदत्त आई.एल.एम.एस डॉटा

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि जीवन समाप्त मदों का शीघ्रता से निपटान किया जाना था, तथापि वे पृथक्करण के बिना अचल मदों के रूप में निपटान की प्रतीक्षा में पड़ी हुई थी। इन मामलों का समाधान करने के लिए नौसेना का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2017)।

2.6.6 इनवेंट्री का निपटान

इनवेंट्री की पहचान करना तथा अधिशेष प्रयोज्य भण्डार (एस.एस.एस) के रूप में अनावश्यक मदों को हटाना, इनवेंट्री कम करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अचल इनवेंट्री की समस्या का मूल इन प्रक्रियाओं, अर्थात् एस.एस.एस मदों की पहचान तथा निपटान, के अप्रभावी कामकाज में निहित है।

2002 की पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बनाया गया था कि सभी श्रेणियों की निपटान-योग्य मदों का निपटान कम था तथा शीघ्र निपटान कारवाई करने के लिए थल सेना में विशेष अधिशेष भण्डार निपटान समिति (एस.एस.एस.डी.सी) के अनुरूप एक अधिकृत संगठन की स्थापना की

सिफारिश की थी। मंत्रालय ने ए.टी.एन {अप्रैल 2006} में, सूचित किया था कि एकीकृत रक्षा स्टाफ (सी.आई.डी.एस) के प्रमुख के अधीन एस.एस.एस.डी.सी के सृजन का प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन था। लेखापरीक्षा प्रश्नावली (जुलाई 2015) के उत्तर में, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने सूचित किया (दिसम्बर 2015) कि किसी समिति का गठन नहीं किया था, तथापि, अधिशेष प्रयोज्य भण्डार की पहचान की जा रही थी तथा एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के प्रचलित नीति पत्रों के अनुसार उनका निपटान किया जायेगा।

एम.ओ (एम बी) तथा एम.ओ (वी) द्वारा सूचित किया गया 2010-11 से 2015-16 के दौरान भण्डार के निपटान का निम्न तालिका में उल्लेख किया गया है:

तालिका 2.14: 31 मार्च 2016 को निपटान की स्थिति

वर्ष	एम.ओ (एम बी) ⁴⁷		एम.ओ (वी) ⁴⁸	
	निपटान की गई मदों की संख्या	उगाहा गया मूल्य (₹ लाख में)	निपटान की गई मदों की संख्या	उगाहा गया मूल्य (₹ लाख में)
2010-11	6,480	50.32	2,781	1,477.86
2011-12	3,239	71.76	1,400	1,325.16
2012-13	9,928	32.75	25,579	1,301.53
2013-14	8,402	131.85	7,826	1,351.06
2014-15	1,872	79.11	50,538	725.83
2015-16	35	4.00	1,240	1,012.81

स्रोत: एम.ओ.ज द्वारा प्रदान की गई सूचना

एम.ओ (के) ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (अगस्त 2016) कि पहचानी गई अधिशेष मदों (अर्थात् 2010 से 830 मदें) का 2010-11 से 2015-16 के बीच कोई निपटान नहीं किया गया था।

तालिका 2.14 से यह स्पष्ट है कि एम.ओ (एम बी) तथा एम.ओ (वी) के संबंध में निपटान क्रियाकलाप नियमित रूप से किए जा रहे थे, जबकि एम.ओ (के) निपटान कारवाई में पीछे था।

2.6.7 उपकरण का मानकीकरण

सामग्री योजना नियमपुस्तिका में प्रावधान है कि विशेषकर भारतीय मूल के बहुत से 'स्टैंड अलोन' उपकरण हैं जो समान उद्देश्य को पूरा करते हैं और जिनकी बहुविविधता, प्रावधानीकरण तथा अधिप्राप्ति की समस्याओं का कारण है। इनमें से बहुत से उपकरणों का मौजूदा भंडार की

⁴⁷ एम.ओ (एम बी) के संबंध में निपटान की गई मदों में केवल 'एस.एस' अर्थात् अधिशेष प्रयोज्य मदें ही शामिल हैं।

⁴⁸ एम.ओ (वी) के संबंध में, निपटान की गई मदों में 'एस.एस' अर्थात् अधिशेष प्रयोज्य, बी.ई.आर, दूषित स्नेहक/मलिन तेल शामिल था।

अवहनीय अत्याधिकता के बिना ही मानकीकृत किया जा सकता है। उक्त मानकीकरण के प्रस्ताव एम.ओज़ से आने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने अपने प्रतिवेदन (2002) में एक ही श्रेणी के पोतों के संबंध में भी बहुत सामान्य मर्दों के मामले में पोतों पर फिट किए गये उपकरण में व्यापक अन्तर के बारे में बताया था और सिफारिश की थी कि क्रमबद्ध उपकरण चुनाव तथा मानकीकरण हेतु विशेषकर स्वदेशी पोतनिर्माण परियाजनाओं में नीतियां बनाई और लागू की जानी चाहिए। इस विषय में मंत्रालय के ए.टी.एन (अप्रैल 2006) में कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सम्भारिकी प्रबंधन समिति ने अपने प्रतिवेदन (2010) में बताया था कि मानकीकरण के अभाव के लिए भारतीय नौसेना में स्पष्ट नीति का न होना एक मुख्य कारण था। 2002 में किए गए मानकीकरण के प्रति भारतीय नौसेना द्वारा किये गये प्रयासों के संबंध में एक लेखापरीक्षा प्रश्न (जुलाई 2015) के उत्तर में, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने 22 उपकरणों/सज्जीकरणों/उपसज्जीकरणों की एक सूची भेजी (दिसम्बर 2015) जिनका मानकीकरण कर लिया बताया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने आई.एल.एम.एस से देखा (अगस्त 2016) कि भारतीय नौसेना में पोतों पर अति सामान्य मर्दों में बड़ी विभिन्नता थी, उदाहरण के तौर पर 39 प्रकार की एच.पी एयर कम्प्रेसर, 16 प्रकार के ताजे तथा फीड जल पम्प, आठ प्रकार के अग्निशमक पम्प, 30 प्रकार के हीट एक्सचेंजर, तीन प्रकार के जल डिसेलिनेशन आर.ओ प्लांट्स, 38 प्रकार के समुद्री जल पम्प, 62 प्रकार के पम्प, 19 प्रकार के कम्प्रेसर, 7 प्रकार के सर्वो एयर कम्प्रेसर, 6 प्रकार के घरेलू ताजे जल पम्प आदि।

एक ही उद्देश्य को पूरा करने वाले कई प्रकार के उपकरण थे तथा एक ही कार्य को करने वाली भिन्न मर्दें थी। परिणामतः, एम.ओज़ इनवेंट्री के प्रबंधन में कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का उत्तर प्रतिक्रित था (मार्च 2017)।

2.6.8 भंडार सत्यापन

इनवेंट्री के भंडार सत्यापन से वास्तव में धारित भंडार तथा बही शेषों में दर्शाए गए भंडार के बीच अन्तरों का समाधान सुविधाजनक हो जाता है ताकि कम तथा अधिक भंडार का पता लगाया जा सके, गलत लेखाबद्ध मर्दों की पहचान की जा सके, भौतिक स्थिति का पता चलता है, भंडारण का युक्तिकरण, उन मर्दों की पहचान जिन्हें सुरक्षित रखता है, परिस्थितियों में बदलाव की पहचान तथा निपटान-योग्य भण्डार की पहचान की जा सके। विद्यमान प्रणाली में, भंडार सत्यापक भंडार की मात्रा की जांच पिक अप सूची बनाता है जिसमें एक मर्द की अनिवार्य मूल

सूचना निहित होती है। जब भंडार की मात्रा की पिक अप सूची की मात्रा से भौतिक जांच की जाती है तब उनमें अन्तरो के विवरण दर्ज किये जाते हैं।

सामान्य वित्तीय नियमावली-2005 में प्रावधान है कि समस्त उपभोज्य माल तथा सामग्री का भौतिक सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य किया जाना चाहिए तथा उनमें अंतर, यदि कोई हो, भंडार रजिस्टर में दर्ज किए जाने चाहिए ताकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित कार्रवाई की जा सके। मूल्यवान तथा आकर्षक मर्दे तिमाही में एक बार एकत्र की जानी चाहिए तथा उनकी शुद्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

2010-11 से 2015-16 के दौरान एम.ओ (के डब्ल्यू) को छोड़कर एम.ओ (एम बी), एम.ओ (वी), तथा एम.ओ (के) पर भौतिक तथा बही शेष के बीच पाए गए अंतर नीचे दिए गए हैं:

तालिका 2.15: एम.ओज़ में 2010-11 से 2015-16 की अवधि के दौरान भंडार सत्यापन की स्थिति

एम.ओ का नाम	भण्डारों की श्रेणी	कुल इन्वेंट्री	मार्च 2016 को अवधि (कालचक्र)	कुल विषमताएं	निपटाई गई विषमताओं की संख्या (बेमेलता)	शेष विषमताएं जिन्हें अभी निपटाना है
एम.ओ (एम बी)	एन.एस	1,00,110	2015-16	0	0	0
	ई एण्ड एस.पी (एन.आर)	1,34,534	2014-16	326	0	326
	ई एण्ड एस.पी (आर)	1,86,724	2014-16	6,056	0	6,056
एम.ओ (वी)	एन.एस	35,102	2016-17	193	65	128
	ई एण्ड एस.पी (एन.आर)	1,32,364	2015-17	516	42	474
	ई एण्ड एस.पी (आर)	1,00,504	2015-17 ⁴⁹	450	53	397
एम.ओ (के)	एन.एस	21,415	2015-16	0	0	0
	ई एण्ड एस.पी (एन.आर)	38,510	2014-16	905	120	785

स्रोत: एम.ओज़ की भंडार सत्यापन रिपोर्ट

टिप्पणी: भंडार की जांच के चक्र में कोई एकरूपता नहीं है, अतः रिपोर्ट/रिटर्न आदि में उपलब्ध आंकड़ें लिए गए।

⁴⁹ चूंकि सभी एम. ओज़ में भंडार सत्यापन के लिए कोई एक रूप चक्र प्रख्यापित नहीं किया गया है। अतः प्रत्येक एम.ओ केवल उसी एम.ओ के चक्र के अनुसार इसे स्वतंत्र रूप से करता है। भंडार सत्यापन की अद्यतन स्थिति का उल्लेख किया गया था, इसलिए 2015-17 चक्र के लिए एम.ओ (वी) के मामले में 2017 आता है।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि एम.ओ (एम बी) में ई एंड एस.पी (आर) श्रेणी में अंतरों वाली मदों की संख्या काफी अधिक थी तथा उनके समाधान हेतु कोई ठोस प्रगति नहीं हुई थी। एम.ओज़ में अंतरों के निपटान कि प्रगति नौसैनिक भंडारों कि तुलना में उपकरण एवं अतिरिक्त पुर्जों (ई एंड एस.पी) में संतोष जनक नहीं थी। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया था कि सभी एम.ओज़ में भंडार की जांच के चक्रों में एकरूपता नहीं थी तथा एक विशेष अवधि के दौरान सत्यापित किए जाने वाले भंडार की मात्रा भिन्न थी। इस प्रकार, वार्षिक भंडार सत्यापन, जो इनवेंट्री प्रबंधन का एक प्रमुख साधन है, एम.ओज़ में प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा टिप्पणी (जुलाई 2016) के उत्तर में नौसेना ने कहा अगस्त 2016 की बेमेलता का निपटान अभी किया जा रहा था, तथापि, लेनदेन बहुत पुराना होने के कारण, समाधान में लंबा समय लग रहा था। भारतीय नौसेना ने यह भी कहा कि विगत दो वर्षों से लगभग 1800 बेमेलता वाले मामलों का भौतिक सत्यापन किया गया था जिन्हें मिलान किया जा रहा था तथा वे प्रक्रियाधीन थे।

यह लेखापरीक्षा के इस दावे को मजबूत बनाता है कि भौतिक शेष तथा बही शेष में अंतर/बेमेलता थी जिससे भंडार शेष की स्थिति प्रभावित होती है।

2.6.8.1 भंडार सत्यापन में अंतर

लेखापरीक्षा ने चक्रित भंडार सत्यापन में अंतर देखा (नवंबर 2014/अगस्त 2016) जिसका एक उदाहरण के माध्यम से नीचे उल्लेख किया गया है :

एम.ओ (एम बी) में जनवरी 2012 में दिए गए आदेश के आधार पर जनवरी 2013 में प्राप्त किए गए दो पम्प आई.एन.एस विराट को जारी नहीं किए गए थे और तभी से वे भंडार में पड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त, मार्च 1995 में प्राप्त चार पम्प एम.ओ (एम बी) के भंडार में पड़े थे जिनकी पहचान की गई (दिसंबर 2012) कि ये सर्कुलेटिंग प्रकार के थे तथा उन्हें एक मद विशेष कोड के अंतर्गत प्रभार में लिया। इनमें से दो पम्प आई.एन.एस विराट को जारी कर दिए गए थे (दिसंबर 2012) तथा शेष दो पम्प जनवरी 2013 में भंडार में थे, जब ₹1.68 करोड़ की कीमत के अतिरिक्त दो पम्प एम.ओ (एम बी) द्वारा जनवरी 2012 में दिए गए एक क्रय आदेश के अंतर्गत प्राप्त किए गए थे। कुल मिलाकर चार पम्प भंडार में पड़े हुए थे (अगस्त 2016)। एम.ओ (एम बी) ने कहा (दिसंबर 2014) कि डिस्टिलिंग प्लांट मॉड्यूल के लिए समुद्री जल पम्प के रूप में मार्च 1995 में प्राप्त पम्पों में शून्य पैटर्न संख्या थी और इसलिए उन्हें गलत विवरण के कारण 1997 में शुरू की गई आई.एल.एम.एस में लेखाबद्ध नहीं किया जा

सका। ये पम्प बाद में दिसंबर 2012 में सर्कुलेटिंग प्रकार के पम्प के रूप में पहचाने गए थे और बाद की खरीद के उसी मद कोड के प्रति लेखाबद्ध किए गए थे तथा प्रभार में लिए गए थे। इस प्रकार, भारतीय नौसेना की उसके भण्डार डिपो में रखे गए भण्डार के चक्रिक भंडार सत्यापन के बावजूद मद की पहचान करने में अक्षमता के परिणामस्वरूप ₹1.68 करोड़ लागत की मद 17 वर्षों तक भंडार में पड़ी रही।

2.7 एकीकृत सम्भारिकी प्रबंधन तंत्र

एकीकृत सम्भारिकी प्रबंधन तंत्र (आई.एल.एम.एस) भारतीय नौसेना में इन्वेन्ट्री प्रबंधन तंत्र में प्रावधानीकरण पद्धतियों को एकीकृत तथा तर्कसंगत करने के लिए 1993 में शुरू की गई थी। यह इन्वेन्ट्री धारिता को कम करने तथा इन्वेन्ट्री को रखने की लागत को कम करने में सहायता करती है। आई.एल.एम.एस में प्रक्रियाओं की समुचित पुनः अभियांत्रिकी के द्वारा मानवीय हस्तक्षेप कम करने का प्रावधान है जिनमें अधिक समय लगता है तथा त्रुटि की संभावना रहती है। इस प्रकार, आई.एल.एम.एस निर्विघ्न कामकाज, भारतीय नौसेना के पोतों/पनडुब्बियों तथा स्थापनाओं को प्रभावी सम्भारिकी समर्थन देने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

मंत्रालय ने अपने ए.टी.एन (अप्रैल 2006) में कहा था कि डाटा बेस में त्रुटियों का समाधान करने के प्रयास किए जा रहे थे। डाटा परिकलन में महत्वपूर्ण प्रगति की गई थी। इसके अतिरिक्त, कई मामलों जैसे बेहतर हार्डवेयर, डिपो तथा पोतों आदि के बीच उन्नत संयोजिता का समाधान किया जा रहा था ताकि तंत्र को दक्ष तथा लागत प्रभावी इन्वेन्ट्री प्रबंधन के लिए अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। तथापि, लेखापरीक्षा ने आई.एल.एम.एस में कई कमियां देखीं (नवंबर 2015) जिसकी चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

2.7.1 आई.एल.एम.एस में कमियां

लेखापरीक्षा ने डाटा की बेमेलता, समान मदों के लिए बहुविध मद कोड की विद्यमानता तथा एक ही विक्रेता के लिए बहुविध विक्रेता कोड आदि के उदाहरण देखे (नवंबर 2015) जो आई.एल.एम.एस के वर्तमान रूपान्तरण में कमियां/त्रुटियों के सूचक हैं जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

तालिका 2.16: 31 मार्च 2016 को आई.एल.एम.एस में त्रुटि

क्र सं	समस्या का स्वरूप	प्रभाव
1	क्रय आदेश फाईल तथा आई.एल.एम.एस में दर्शाई गई क्रय मात्रा तथा दर अलग अलग थे	आई.एल.एम.एस में गलत डाटा प्रविष्ट करना अनुमत है।
2	आई.एल.एम.एस के मॉड्यूल {आई.एफ.ए (नौसेना) के लिए माँगपत्र मद लेनदेन} में दर्शाए गए भंडार मूल्य वास्तविक भंडार शेष से भिन्न है।	आई.एल.एम.एस में लेनदेन अद्यतित नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप आई.एल.एम.एस का डाटा गलत हो गया।
3	आई.एल.एम.एस में एक ही विक्रेता के लिए बहुविध विक्रेता कोड विद्यमान है तथा अलग अलग विक्रेताओं से अधिप्राप्त समान मर्दे अलग अलग मद कोड के अंतर्गत आई.एल.एम.एस में विद्यमान है।	विक्रेता कोड, मर्दों को आवंटित किए गए मद कोड का एक अभिन्न भाग है। विक्रेता पंजीकरण में त्रुटि के कारण दोहरी इनवेंट्री, बहुविध लेखांकन तथा भण्डारण होगा जिससे इनवेंट्री धारिता के आकार में काल्पनिक वृद्धि होगी।

एम.ओ (एम बी) ने कहा (फरवरी 2016) की प्रणाली में दर्शाई गई मात्र तथा दर के ब्योरों की अवहेलना की जा सकती है क्योंकि ये फाइल में रखे गए क्रय आदेशों में उपलब्ध है, जो प्रमाणिक है। यह लेखापरीक्षा के इस निष्कर्ष को स्थापित करता है कि आई.एल.एम.एस में गलत डाटा प्रविष्ट किया जा सकता है। जहां तक एक ही विक्रेता के लिए बहुविध विक्रेता कोड के प्रश्न का संबंध है, एम.ओ (एम बी) ने कहा (फरवरी 2016) कि मर्दे विभिन्न प्राधिकारियों के प्रति विभिन्न अंतरालों पर शुरू कि गई हैं जिनमें से कुछ अप्रचलित हैं और उनमें स्थापन लिंकेज भी है। भारतीय नौसेना का दावा तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बहुविध विक्रेता कोड का होना तथा अलग अलग मद कोड के अंतर्गत एक ही मद होना बड़ी हुई इनवेंट्री के सूचक हैं जिनके कारण नौसैनिक इनवेंट्री के युक्तिकरण में रुकावट आती है। जहां तक एक मॉड्यूल में दर्शाए गए भंडार के प्रश्न का संबंध है, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2017)।

2.7.2 आई.एल.एम.एस में नियंत्रण तंत्र में अपर्याप्तता

संबंधात्मक डाटाबेस प्रबंधन तंत्र (आर.डी.बी.एम.एस), जिस पर आई.एल.एम.एस आधारित है, में डाटा तैयार करने की अवस्था से ही शुद्धता तथा पूर्णता सुनिश्चित करने का प्रावधान है। प्रणाली में अर्थहीन डाटा की प्रविष्टि के प्रति कोई प्रणाली आधारित नियंत्रण रोक नहीं लगा सकता।

प्रविष्टि के समय ही उसमें शुद्धता काफी महत्वपूर्ण है। केन्द्रीय तंत्र में अपर्याप्तता की चर्चा नीचे की गई है:

(क) वह आधार जिस पर माँगपत्र बनाया जाता है, विभिन्न कोड के अंतर्गत आई.एल.एम.एस में माँगपत्र चुनाव के रूप में दर्शाया जाता है। लेखापरीक्षा ने देखा (सितंबर 2015) कि 2010-11 से 2015-16 की अवधि के दौरान एम.ओ (एम बी) द्वारा जारी किए गए 5,729 मांग पत्रों में से, 345 मांगपत्रों में मांगपत्र चुनाव नहीं दर्शाया गया था। प्रतिउत्तर में एम.ओ (एम बी) ने कहा (फरवरी 2016) की कुछ विशेष प्रकार के मांग पत्र प्रख्यापित मांगपत्र चुनाव श्रेणी जैसे आर.सी पी.ए.सी, पुनरावृत्ति आदेश (आर.ओ) तथा विकल्प खंड (ओ.सी) के अंतर्गत नहीं आते। इसपर सहमति व्यक्त नहीं की जा सकती क्योंकि आर.सी, पी.ए.सी तथा ओ.सी आदि केवल अधिप्राप्ति की विधियाँ हैं जबकि मांग पत्रों का चुनाव, ग्राहकों/प्रयोक्ताओं द्वारा की गई मांग के प्रकार का आधार दर्शाता है। अतः आई.एल.एम.एस में मांग पत्र चुनाव को दर्शाना अपरिहार्य है। इसके अतिरिक्त एम.पी.एम के अनुसार, मांग पत्र के बिना कोई अधिप्राप्ति शुरू नहीं की जा सकती। इस प्रकार, 'मांगपत्र चुनाव' कोड का पता लगाए बिना माँगपत्र स्वीकार करना अर्थात् वह आधार जिस पर ग्राहकों द्वारा मांग की जाती है, आई.एल.एम.एस में डाटा प्रविष्टि स्तर पर नियंत्रण तंत्र के अभाव का सूचक है।

(ख) भंडार में मदों की स्थिति दर्शाने के लिए आई.एल.एम.एस में विशिष्ट कोड प्रदान किए गए हैं। लेखापरीक्षा ने देखा (सितंबर 2015) कि प्रदान न किए गए कोडों को भी कंडीशन कोडों के रूप में आई.एल.एम.एस में प्रविष्ट किए गए थे। इसके अतिरिक्त, कोड बड़े तथा छोटे अक्षरों के संयोजन से किसी भी संख्या में प्रविष्ट किए गए थे जैसे कोड 'New' आई.एल.एम.एस प्रणाली के अनुसार NEW तथा New फॉरमेट में तथा कोड 'Uns,' 'uns,' 'Uns' तथा 'UNS' फॉरमेट में, प्रविष्ट किए गए थे। विशेष प्रकार के पूर्णांश जैसे एपासट्राफ़स, कंडीशन कोड के रूप में प्रविष्ट किए गए थे।

प्रत्युत्तर में एम.ओ (एम बी) ने कहा (अक्टूबर 2015) कि पूर्व माइग्रेशन चरण के दौरान 2006 और 2009 के बीच पाँच कोड भरे गए हैं तथा माइग्रेशन के बाद ये रोक डाटा के बेहतर मूल्यांकन हेतु तंत्र में शामिल की गई थी।

भारतीय नौसेना का दावा तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गलत कोड अभी भी विद्यमान थे जो डाटा प्रविष्टि के स्तर पर आई.एल.एम.एस में नियंत्रण तंत्र के अभाव का सूचक है।

(ग) पी.ओ.ई.आर द्वारा पी.पी.क्यू के सुधार के आधार को सूचित करने के लिए आई.एल.एम.एस में विशिष्ट कोड प्रदान किए गए हैं। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया (सितंबर 2015 से जनवरी

2016) कि ई.वी कोड दर्शाए बिना पी.पी.क्यू में किए गए सुधार भी, आई.एल.एम.एस में स्वीकार किए गए थे, जो आई.एल.एम.एस में डाटा के इनपुट में नियंत्रण के अभाव को दर्शाते थे।

2.7.3 बहुविध विनिर्देशनों के साथ मदों की धारिता

पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2002) में यह उजागर किया गया था कि प्रणाली में मद विनिर्देशन रखने की प्रगति धीमी थी। भारतीय नौसेना ने लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिश के साथ सहमति व्यक्त करते हुए कहा (2002) कि विभिन्न एजेंसियों के साथ बातचीत के द्वारा 'मद' विनिर्देशन प्रगामी रूप से संकलित किए जा रहे थे तथा उन्हें आई.एल.एम.एस पर उपलब्ध कराया जा रहा था। मंत्रालय के ए.टी.एन (अप्रैल 2006) में इस विषय पर कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा (सितंबर 2015/मार्च 2016) कि सम्भारिकी नियंत्रक (सी.ओ.एल) ने आई.एल.एम.एस के माध्यम से प्राप्त 12,464 मदों के संबंध में बहुविध विनिर्देशन घटाने के प्रति कार्रवाई का निर्देश दिया (जनवरी 2012) था। इसके अतिरिक्त, यद्यपि भारतीय नौसेना जनवरी 2012 से मामले के समाधान का प्रयास कर रही थी, तथापि, इस संबंध में प्राप्त प्रगति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी (मार्च 2017)।

2.7.4 आई.एल.एम.एस में उपलब्ध संसाधन का उप-अभीष्टम उपयोग

(क) आई.एल.एम.एस, सामग्री योजनाकार को सभी एम.ओज़ में एक विशेष मद की निःशुल्क (अर्थात नई मांग के प्रति निर्गम हेतु उपलब्ध) भंडार स्थिति की एक विंडो प्रदान करता है जहां योजनाकार पता लगा सकता है कि क्या कुछ अन्य एम.ओज़ पर मौजूदा भंडार स्थिति अधिशेष मात्रा/अधिक संख्या में उपलब्ध है तथा उसका नई अधिप्राप्ति करने के स्थान पर अन्तर-डिपो अन्तरण (आई.डी.टी) के माध्यम से लाभप्रद ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2016) कि अगस्त 2010 से एम.ओ (एम बी) में भंडार में 12 मैग्नेट्रॉन पड़े थे। इसके अतिरिक्त, एम.ओ (वी) द्वारा ₹3.00 करोड़ की लागत पर चार मैग्नेट्रॉन अधिप्राप्ति किए गये थे (अक्टूबर 2011)। एम.ओ (एम बी) का भंडार बाद में एम.ओ (वी) को स्थानांतरित (अप्रैल 2012) किया गया और 16 मैग्नेट्रॉन एम.ओ (वी) भंडार में पड़े थे (अक्टूबर 2016)। हालांकि मैग्नेट्रॉन एम.ओ (एम बी) में भंडार में पड़े थे, तो भी एम.ओ (वी), आई.एल.एम.एस में उपलब्ध संसाधनों का लाभप्रद ढंग से इस्तेमाल करने में विफल रहा तथा ₹3.00 करोड़ की मद की अधिप्राप्ति की जिससे बचा जा सकता था।

उत्तर में, एम.ओ (वी) ने कहा कि आदेश देने से पूर्व आई.डी.टी नहीं मांगा गया था क्योंकि वस्तुगत उपकरण तब पश्चिमी नौसैनिक कमान (डब्ल्यू.एन.सी) में सेवा में था। यह लेखापरीक्षा

में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डब्ल्यू.एन.सी, समुचित समय पर इस मद की आवश्यकता का आकलन नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप एम.ओ (वी) द्वारा मद की अधिप्राप्ति की गई। यदि यह मद एम.ओ (वी) को स्थानांतरित कर दी जाती तो ₹3.00 करोड़ मूल्य की मद की अधिप्राप्ति से बचा जा सकता था।

(ख) आई.एल.एम.एस स्वचालित इनवेंट्री प्रबंधन तंत्र है, जिससे प्रबंधको तथा प्रयोक्ताओं को अर्थपूर्ण तथा विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2016) कि एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) अनुबंध कर रही थी तथा क्रय आदेशों को सामान्य तौर पर दिए गए थे तथा इन क्रय आदेशों के ब्यौरे मद की प्राप्ति के समय बाद की तिथि पर आई.एल.एम.एस में प्रविष्ट किये जा रहे थे। उक्त ब्यौरे आई.एल.एम.एस में दर्ज न करने के परिणामस्वरूप, महत्वपूर्ण सूचना जैसे 'ड्यूज-इन', अन्तिम क्रय मूल्य (एल.पी.पी) आदि जो प्रावधानीकरण तथा अधिप्राप्ति के निर्णय लेने के लिए आवश्यक है, प्रणाली में उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

2.7.5 प्रयोक्ताओं, एम.ओज़ तथा अन्य एजेंसियों का एकीकरण न किया जाना

सभी भागीदारों के साथ आई.एल.एम.एस का एकीकरण सूचना का निरन्तर प्रवाह तथा सभी स्तरों पर कुल परिसम्पत्ति की दृश्यता को सुनिश्चित करता है। लेखापरीक्षा ने अपने 2002 के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कहा था कि आई.एल.एम.एस में भारतीय नौसेना के अन्दर एम.ओज़, प्रयोक्ताओं तथा अन्य एजेंसियों के बीच कोई लिंकेज नहीं थी। अपने ए.टी.एन (अप्रैल 2006) में, मंत्रालय ने कहा कि आई.एल.एम.एस का नियोजित अपग्रेडेशन सभी संबंधितों के साथ व्यापक विचार विमर्श के साथ किया जाएगा, एक शुरुआत के रूप में वेब आधारित संयोजिता गोदीबाड़ों और कमान मुख्यालयों को दी गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2015/ दिसम्बर 2015) कि भारतीय नौसेना द्वारा सभी कमानों, गोदीबाड़ों, तकनीकी निदेशालयों भारतीय नौसैनिक पोत अनुरक्षण प्राधिकरण (आइ.एन.एस.एम.ए), युद्धपोत निरीक्षण दल (डब्ल्यू.ओ.टीज़) तथा प्रयोक्ता इकाईयों के साथ आई.एल.एम.एस का एकीकरण अभी नहीं हो पाया था।

2.8 निष्कर्ष

प्रभावी इनवेंट्री प्रबंधन हेतु तथा डाऊन टाइम तथा भंडार समाप्ति की स्थितियों को न्यूनतम करने के लिए अच्छी तरह से डिजाईन की गई पूर्वानुमान, प्रावधानीकरण समीक्षा प्रणाली द्वारा समर्थित एक समुचित इनवेंट्री प्रबंधन तंत्र की आवश्यकता है। 2010-11 से 2015-16 अर्थात् निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान, नौसैनिक भण्डारों, उपकरण तथा अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ₹6,731.75 करोड़ की राशि खर्च की गई थी।

भारतीय नौसेना द्वारा अपनाई गई आई.एल.एम.एस आधारित पुनःपूर्ति प्रावधानीकरण से न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ अधिक संक्षिप्त मांग प्रक्षेपणों के सृजन की आशा है। तथापि, भारतीय नौसेना द्वारा अपनाए गए वर्तमान प्रावधानीकरण फॉर्मूले से एक अन्तर्निष्ठ त्रुटि के कारण अधिक प्रावधानीकरण मात्रा का सृजन हुआ जिसके कारण पूर्ण मानवीय हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया। भारतीय नौसेना निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप चुनिंदा इनवेंट्री नियंत्रण विधियां नहीं अपना रही थी। अपनाई गई अधिप्राप्ति विधियां, मंत्रालय द्वारा उसके ए.टी.एन (अप्रैल 2006) में दिए गए आश्वासन के अनुरूप नहीं थी। भारतीय नौसेना ने लगातार निर्धारित दिशानिर्देशों के विपरीत अप्रचलित मर्दों की अधिप्राप्ति का सहारा लिया। लगने वाले निर्धारित समय की तुलना में अधिप्राप्ति की विभिन्न अवस्थाओं पर काफी देर हुई थी। मांग अनुपालन तथा मांग संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों के निर्धारण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। अचल इनवेंट्री की बड़ी मात्रा सभी एम.ओज़ में भंडार में पड़ी थी जिससे इनवेंट्री को रखने की लागत बढ़ गयी थी। दूसरी ओर, अनिवार्य तथा अत्यावश्यक भण्डारों के न्यूनतम अपेक्षित भंडार स्तर सभी एम.ओज़ द्वारा अनुरक्षित नहीं किये गए थे। त्रुटियां तथा चूकें एम.ओज़ में किए जा रहे भंडार सत्यापनों को निरन्तर सताते रहे। 1993 में शुरू की गयी एकीकृत सम्भारिकी प्रबंधन तंत्र (आई.एल.एम.एस) समूचे एम.ओज़ तथा प्रयोक्ताओं में डॉटा विश्वसनीयता मुददों, मास्टर डॉटा क्लीनिंग आवश्यकता तथा नेटवर्किंग के अभाव में चल रही है। मामला मंत्रालय को भेजा गया था (नवम्बर 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2017)।